अध्याय-V

राजस्व प्राप्तियाँ

कार्यकारी सारांश

राजस्व प्राप्तियाँ **गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के कारण**	वर्ष 2010-11 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का (₹ 5,083.54 करोड़) 44 *प्रतिशत* राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित किया गया । प्राप्तियों का शेष 56 *प्रतिशत* (₹ 6,524.63 करोड़) वर्ष 2010-11 के दौरान भारत सरकार से था । **बिक्री कर/वैटः** डीजल एवं पेट्रोल की दरों में वृद्धि, अतिरिक्त कर आरोपण, कर वसूली के बेहतर प्रबन्धन एवं वैट व्यवस्था का प्रशासन, कर चोरी के प्रयासों पर रोक के सफल प्रयत्न और राज्य के स रा घ उ (जी एस डी पी) की बढ़ोत्तरी। **स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्कः** वर्ष के दौरान विक्रय पत्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी ।
अधिदेश	उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन की जाती हैं।
वर्ष 2010-11 में हमारे द्वारा संपादित लेखापरीक्षा परिणाम	वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व विभागों के 112 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 241 मामलों में ₹ 115.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि एवं अन्य कमियाँ हुई । वर्ष 2010-11 के दौरान, हमारे द्वारा इंगित किये गये ₹ 0.31 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 13 मामले विभाग द्वारा स्वीकार किये गये तथा वर्ष के दौरान 44 मामलों में ₹ 0.28 करोड़ वसूल किये गये ।
विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गई टिप्पणियों के सापेक्ष विभाग द्वारा कम वसूली।	वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान, विभाग/शासन द्वारा ₹ 10.38 करोड़ की समाहित टिप्पणियों को स्वीकार किया गया जिसमें से मार्च, 2011 तक ₹ 0.02 करोड़ वसूल किये गये, जो स्वीकार की गयी धनराशि का मात्र 0.19 *प्रतिशत* था। यह स्वीकार किये गये मामलों की प्रभावी वसूली में सरकार द्वारा अनुकूल कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।
इस अध्याय में हमारे द्वारा क्या विशेष प्रकाश डाला गया है	इस अध्याय में हमारे द्वारा बिक्री कर एवं राज्य आबकारी की राजस्व इकाईयों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान देखी गई टिप्पणियों में से चयनित ₹ 1.03 करोड़ के दो उदाहरणात्मक मामलों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें पाया गया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । प्रस्तर, माल की बिक्री पर दावा की गई अतिरिक्त हानि के कारण अवनिर्धारण/राजस्व हानि तथा निर्धारित मापदण्डों के संदर्भ में एल्कोहल के उत्पादन में अत्यधिक अपशिष्ट से सम्बन्धित है । हम "**मोटरयान विभाग में कम्प्यूटरीकरण**" एवं **"अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन"** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के प्रशासन में प्रणाली कमियों तथा अनिर्धारण, राजस्व हानि एवं अन्य अनुपालन कमियों से सम्बन्धित क्रमशः ₹ 0.33 करोड़ तथा ₹ 0.36 करोड़ के वित्तीय प्रभाव समाहित है ।
हमारा निष्कर्ष	सरकार को, "**मोटरयान विभाग में कम्प्यूटरीकरण**" एवं **"अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन"** पर हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा में इंगित किये गये प्रणाली कमियों को ठीक करने तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की टिप्पणियों में समाहित कर को वसूल करने में भी त्वरित कार्यवाही आरम्भ करने की आवश्यकता है ।

5.1 सामान्य

5.1.1 वर्ष 2010-11 के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्गृहीत कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आँकड़े नीचे तालिका 5.1.1 में दिये गये हैंः

तालिका-5.1.1 *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	राज्य सरकार द्वारा उदगृहित राजस्व					
	• कर राजस्व	2,513.78	2,738.75	3,044.91	3,559.04	4,405.47
	• करेत्तर राजस्व	646.82	668.38	699.44	631.86	678.06
योग		**3,160.60**	**3,407.13**	**3,744.35**	**4,190.90**	**5,083.54**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश	1,131.83	1,427.70	1,506.59	1,550.01	2,460.07[1]
	• सहायता अनुदान	3,080.79	3,056.26	3,384.03	3,745.22	4,064.56
योग		**4,212.62**	**4,483.96**	**4,890.62**	**5,295.23**	**6,524.63**
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	**7,373.22**	**7,891.09**	**8,634.97**	**9,486.13**	**11,608.17**
4.	1 की प्रतिशतता 3 से	42	43	43	44	44

स्रोतः वित्त लेखे 2010-11.

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2010-11 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 5,083.54 करोड़) का 44 *प्रतिशत* राज्य सरकार द्वारा उद्गृहित किया गया। प्राप्तियों का शेष 56 *प्रतिशत* (₹ 6,524.63 करोड़) वर्ष 2010-11 में भारत सरकार से था।

5.1.2 कर राजस्व

निम्न तालिका 5.1.2 वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान उद्गृहित कर राजस्व का विवरण दर्शाती हैः

[1] विवरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2010-11 के वित्त लेखों में विवरण संख्या-11 लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण देखें। आँकड़े मुख्य लेखा शीर्ष- 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय उत्पाद शुल्क तथा 0044-सेवाकर। वित्तीय लेखाओं के अन्तर्गत अ-कर राजस्व में अंकित राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों के अंश को राज्य द्वारा उद्गृहीत राजस्व से निकाल दिया गया है तथा इस विवरण में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से' में सम्मिलित किया गया है।

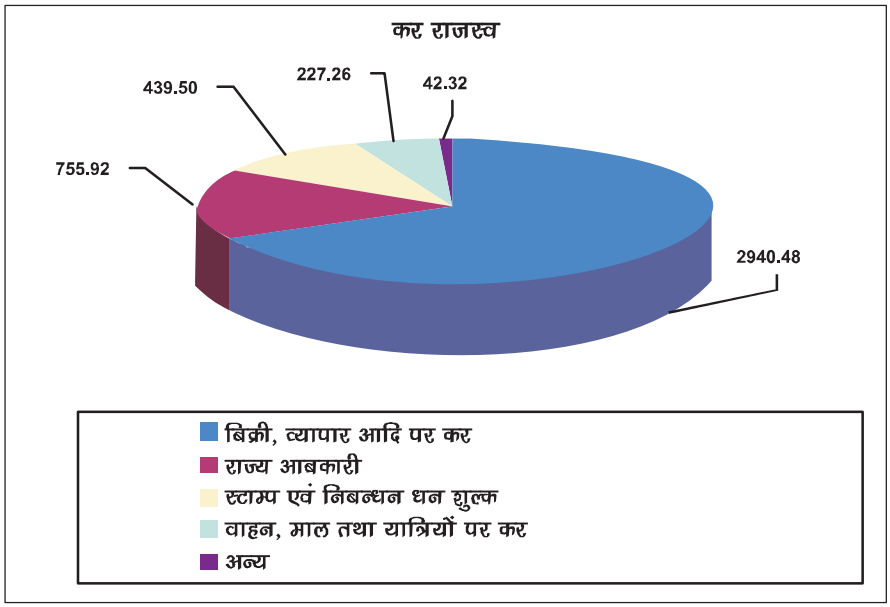
तालिका-5.1.2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2009-10 के सापेक्ष 2010-11 में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,361.42	1,627.41	1,910.64	2,246.84	2,940.48	(+) 30.87
2.	राज्य आबकारी	372.91	441.56	528.35	704.64	755.92	(+) 7.28
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	546.32	424.27	357.46	398.70	439.50	(+) 10.23
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	141.46	155.26	166.98	184.56	227.26	(+) 23.14
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	66.19	55.22	51.61	2.11	2.16	(+) 2.37
6.	भू-राजस्व	15.42	23.40	17.90	8.80	18.31	(+) 108.07
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5.44	6.45	5.87	6.27	12.15	(+) 93.78
8.	अन्य	4.62	5.18	6.10	7.12	9.70	(+) 36.24
योग		**2,513.78**	**2,738.75**	**3,044.91**	**3,559.04**	**4,405.48**	**(+) 23.78**

स्रोतः वित्त लेखे 2010-11.

चार्ट–5.1



राज्य द्वारा कर संग्रह के निम्नलिखित रूझान पाये गये थे:

- वर्ष 2010-11 में कुल कर संग्रह का 66.75 *प्रतिशत* अंशदान बिक्री, व्यापार आदि पर कर से हुआ। वर्ष 2010-11 में आबकारी, स्टाम्प व निबन्धन शुल्क एवं वाहनों पर प्राप्त कर, मिलाकर राज्य के कुल कर के सापेक्ष 32.29 *प्रतिशत* दर्ज किया गया था। बिक्री, व्यापार आदि पर कर वर्ष 2005 में वैट लागू होने के बाद 34.22 *प्रतिशत* की वृद्धि दिखाने के बाद यह वृद्धि घटकर, वर्ष 2009-10 में सिर्फ 17.60 *प्रतिशत* रही क्योंकि वैट अवधि में स्थिरिकरण देखा गया और आई टी सी दावों में वृद्धि हुयी, परन्तु वर्ष 2010-11 में पुनः पिछले वर्ष की तुलना में 30.87 *प्रतिशत* की वृद्धि हुयी।
- वाणिज्य कर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2011) कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, डीजल एवं पेट्रोल के दरों में वृद्धि, अतिरिक्त कर आरोपण, कर संग्रह के उत्तम प्रबंधन, करचोरी के प्रयासों पर रोक के सफल प्रयत्न और राज्य के स रा घ उ सूचकांक की बढोतरी के कारणों से हुयी।
- स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन विभाग की प्राप्तियों में वृद्धि, विक्रय पत्रों के पंजीयन में वर्ष 2009-10 में 1,39,464 से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 1,81,786 होने के कारण हुई।
- वर्ष 2009-10 के दौरान उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड[2] (यू पी सी एल) द्वारा बिलिंग एवं संग्रह में वृद्धि के बावजूद भी, विद्युत पर कर एवं शुल्क में 95.91 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की गयी। वर्ष 2009-10 के दौरान, ₹ 97.64 करोड़ कुल निर्धारण के सापेक्ष कोई भी भुगतान सरकार को नहीं किया जा सका, क्योंकि निगम निरन्तर घाटे में चल रहा था। वर्ष 2010-11 के दौरान 2.37 *प्रतिशत* की नाममात्र वृद्धि के साथ स्थिति लगभग स्थिर रही।

यद्यपि भिन्नता के कारण मांगे गये थे (सितम्बर, 2011), परन्तु अन्य विभागों द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये थे (नवम्बर, 2011)।

5.1.3 करेत्तर राजस्व

निम्न तालिका 5.1.3 वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान उद्गृहित करेत्तर राजस्व के विवरणों को प्रस्तुत करती है:

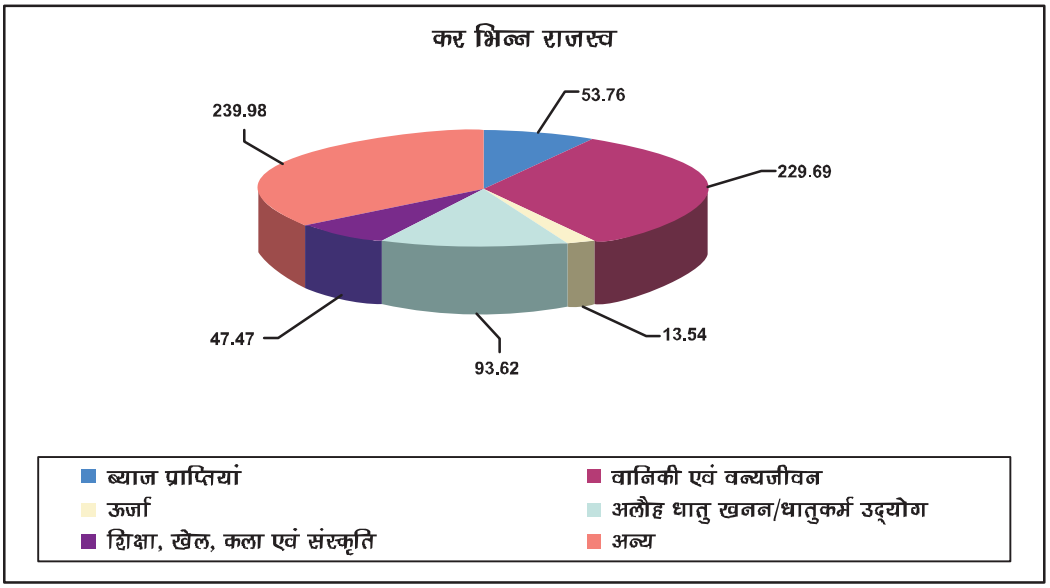
[2] उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के बिलिंग चक्र की भिन्नता के साथ ऊर्जा की खपत के लिये उपभोक्ताओं के विरुद्ध उठाए गए बिलों में यू पी सी एल द्वारा शुल्क का संग्रह किया गया है ।

तालिका-5.1.3 (₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	वर्ष 2009-10 के सापेक्ष 2010-11 में प्रतिशतता वृद्धि(+)/कमी(-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	40.94	41.56	68.49	53.71	53.76	(+) 0.09
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	188.09	209.75	207.16	235.70	229.69	(-) 2.55
3.	ऊर्जा	172.22	144.37	171.37	56.13	13.54	(-) 75.88
4.	अलौह धातु खनन/धातुकर्म उद्योग	62.58	73.06	63.73	74.08	93.62	(+) 26.38
5.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	23.34	30.69	28.66	34.18	47.47	(+) 38.88
6.	लोक निर्माण	11.52	13.96	15.53	19.50	24.83	(+) 27.33
7.	बृहद एवं मध्यम सिंचाई	5.69	5.76	5.91	5.18	5.10	(-) 1.54
8.	पुलिस	5.24	5.96	7.01	9.62	11.26	(+) 17.05
9.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	11.83	35.53	28.09	21.18	47.15	(+) 122.62
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	4.29	5.29	6.84	11.73	29.01	(+) 147.31
11.	सहकारिता	3.99	5.58	3.19	1.78	1.70	(-) 4.49
12.	फसल कृषि कर्म	2.73	3.94	3.62	4.55	3.78	(-) 16.92
13.	अन्य	114.36	92.93	89.84	104.52	117.15	(+) 12.08
योग		**646.82**	**668.38**	**699.44**	**631.86**	**678.06**	(+) 7.31

स्रोतः वित्त लेखे 2010-11.

चार्ट-5.2



राज्य द्वारा करेत्तर राजस्व संग्रह में निम्न प्रवृत्तियाँ पायी गई।

- करेत्तर राजस्व, वर्ष 2006-07 के पश्चात् लगभग स्थिर रहा । ₹ 678.06 करोड़ करेत्तर राजस्व, कुल प्राप्तियों का 5.84 *प्रतिशत* बना, जबकि पूर्व वर्ष से 7.31 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई ।

  करेत्तर राजस्व में प्रमुख अंशदाता वानिकी एवं वन्यजीवन (33.87 *प्रतिशत*) तथा अलौह धातु खनन/धातुकर्म उद्योग[3] (13.81 *प्रतिशत*) रहे हैं।

5.1.4 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 2010-11 के लिए कर एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नताएं निम्न तालिका 5.1.4 में वर्णित हैः

तालिका-5.1.4 (*₹ करोड़ में*)

क्रम संख्या	राजस्व प्राप्तियों का शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता, वृद्धि (+)/कमी(-)	प्रतिशतता
	कर राजस्व				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	2,586.00	2,940.48	(+) 354.48	(+) 13.71
2.	राज्य आबकारी	686.93	755.92	(+) 68.99	(+) 10.04
3.	स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क	425.65	439.50	(+) 13.85	(+) 3.25
4.	वाहनों पर कर	225.30	227.26	(+) 1.96	(+) 0.87
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	72.00	2.16	(-) 69.84	(-) 97
	करेत्तर राजस्व				
6.	ब्याज प्राप्तियाँ	62.01	53.76	(-) 8.25	(-) 13.30
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	10.12	47.15	(+) 37.03	(+) 365.91
8.	फसल कृषि कर्म	4.88	3.78	(-) 1.10	(-) 22.54
9.	पुलिस	9.01	11.26	(+) 2.25	(+) 24.97
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11.48	29.01	(+) 17.53	(+) 152.70
11.	सड़के तथा सेतु	5.13	1.53	(-) 3.60	(-) 70.18
12.	लोक निर्माण	14.51	24.83	(+) 10.32	(+) 71.12
13.	वानिकी एवं वन्यजीव	266.10	229.69	(-) 36.41	(-) 13.68
14.	अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	99.01	93.62	(-) 5.39	(-) 5.44
15.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	19.17	47.47	(+) 28.30	(+) 147.63
16.	ऊर्जा	230.00	13.54	(-) 216.46	(-) 94.11

स्रोतः वर्ष 2010-11 के लिये प्राप्ति बजट एवं वित्त लेखे.

[3] अलौह धातु खनन/धातुकर्म उद्योग पर उद्ग्रहित रायल्टी प्रभार ।

भिन्नता के कारण निम्न है:

वाणिज्य कर विभाग ने व्यक्त किया (अक्टूबर, 2011) कि अनुमान के संदर्भ में वैट प्राप्तियों में भिन्नता, डीजल एवं पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि, अतिरिक्त कर का आरोपण, कर संग्रह में उत्तम प्रबंधन, कर चोरी के प्रयासों पर रोक के सफल प्रयत्न एवं राज्य के जी.एस.डी.पी. सूची में वृद्धि के कारणों से हुई।

अन्य विभागों ने निवेदन करने पर भी (सितम्बर, 2011) भिन्नताओं के संबंध में सूचित नहीं किया (नवम्बर, 2011)।

5.1.5 संग्रह की लागत

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान, मुख्य राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित सकल संग्रह, संग्रह पर व्यय तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2009-10 के लिए सम्बन्धित सकल संग्रह पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित नीचे तालिका 5.1.5 में वर्णित है:

तालिका-5.1.5 (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह[4]	राजस्व संग्रह पर व्यय	कुल संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2009-10 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री/वाणिज्य कर/वैट	2008-09	1,902.38	34.16	1.79	0.96
		2009-10	2,240.84	39.31	1.75	
		2010-11	2934.95	38.58	1.31	
2.	आबकारी	2008-09	528.32	5.95	1.13	3.64
		2009-10	703.71	7.33	1.04	
		2010-11	755.98	8.57	1.13	
3.	वाहनों पर कर	2008-09	163.84	10.03	6.12	3.07
		2009-10	182.16	10.64	5.84	
		2010-11	216.26	13.22	6.11	
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2008-09	357.44	5.45	1.52	2.47
		2009-10	398.75	5.72	1.43	
		2010-11	439.45	11.37	2.58	

स्रोतः सम्बन्धित राज्य विभाग

इस प्रकार, राज्य आबकारी तथा स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क पर संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता वर्ष 2009-10 के सापेक्ष कम थी, जबकि वाहनों पर कर और बिक्री/वाणिज्य कर/वैट के मामलों में उच्चतर थी। परिवहन विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर, 2011) कि वर्ष 2009-10 के दौरान, अखिल भारतीय औसत के सापेक्ष संग्रहण लागत में उच्चता अपने कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के छठे वेतन आयोग

4 वर्ष 2008-09 से 2010-11 हेतु राज्य के विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सभी चार करों की संग्रह की लागत तालिका में दी गई है जो कि वित्त लेखों में दर्शित आँकड़ों से मेल नहीं खाती ।

के बकाया भुगतान, कुछ भर्ती कार्य एवं मृतकों जख्मी व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता में वृद्धि के कारण थी।

बिक्री/वाणिज्य कर/वैट विभाग ने उच्च संग्रहण लागत के कारणों के विषय में सूचित नहीं किया (अक्टूबर, 2011)।

5.1.6 संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर तथा प्रवेश-कर के कुल संग्रह का, पूर्व निर्धारण चरण तथा नियमित पश्च निर्धारण के पृथक-पृथक आँकड़ें, जैसे वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये थे, निम्न तालिका 5.1.6 इंगित हैः

तालिका-5.1.6 *(₹ करोड़ में)*

राजस्व शीर्ष	वर्ष	कर के पूर्व निर्धारण तक संग्रहित धनराशि	नियमित कर निर्धारण के पश्चात् संग्रहित धनराशि (अतिरिक्त मांग)	कर और शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	वापस की गई धनराशि	विभाग के अनुसार शुद्ध संग्रह	स्तम्भ 7 से 3 की प्रतिशत ता
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	2010-11	2451.60	502.48	1.36	26.46	2928.98	83.70
प्रवेश कर	2010-11	5.96	-	-	-	5.96	100

वाणिज्य कर एवं प्रवेश कर के अन्तर्गत किया गया संग्रह, पूर्व कर निर्धारण स्तर पर लगभग 83.70 *प्रतिशत* था । जबकि शुद्ध संग्रह का 16.30 *प्रतिशत* नियमित कर निर्धारण के पश्चात् संग्रह किया गया ।

5.1.7 राजस्व बकायों का विश्लेषण

मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2011 को विभागों द्वारा सूचित ₹ 1249.80 करोड़ के राजस्व बकायों में से ₹ 254.99 करोड़ (20.40 *प्रतिशत*) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि नीचे तालिका 5.1.7 में वर्णित हैः

तालिका-**5.1.7** *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2011 को बकाये की धनराशि	पांच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	881.07	249.90	₹ 97.11 करोड़ की वसूली *न्यायाधीन* है एवं ₹ 208.46 करोड़ के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
2.	वाहनों पर कर	4.43	2.06	विभाग द्वारा बताया गया कि 403 प्रकरण *न्यायाधीन* थे एवं शेष प्रकरणों के लिए वसूली की मांग जिलाधिकारी के माध्यम से की जा चुकी थी।
3.	भू-राजस्व	0.38	0.01	वर्ष 2010-11 के दौरान भारी वर्षा होने के कारण सरकार द्वारा राजस्व की वसूली 31.03.2011 तक स्थगित कर दी गई थी ।
4.	राज्य आबकारी	0.48	0.48	विभाग ने बताया कि ₹ 12.08 लाख धन राशि का एक प्रकरण न्यायालय में लम्बित है अन्य प्रकरणों में धनराशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	352.61	-	विभाग ने बताया कि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि. से नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
6.	लोक निर्माण विभाग	1.73	0.86	विभाग ने बताया कि शीघ्र वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। ₹ 0.04 लाख की वसूली *न्यायाधीन* है।
7.	मनोरंजन कर	0.63	0.04	विभाग ने बताया कि ₹ 48.05 लाख के प्रकरण *न्यायाधीन* हैं शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
8.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3.22	1.64	-
9	गन्ना क्रय पर कर	5.25	-	काशीपुर शुगर मिल्स को बी आई एफ आर के तहत 4 वर्षों की छूट दिये जाने के कारण ₹ 123.12 लाख बकाया था। प्रकरण *न्यायालय* में विचाराधीन है।
योग		**1249.80**	**254.99**	

स्रोतः राज्य विभाग

5.1.8 कर निर्धारण का बकाया

वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान बिक्री कर/वैट रिटर्नों के कर निर्धारण की स्थिति के सार निम्न तालिका 5.1.8 में दर्शाये गये हैं-

तालिका-5.1.8

वर्ष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण के मामलों की संख्या	अब तक निर्धारित कर निर्धारण मामलों की संख्या	अब तक अनिर्धारित कर निर्धारण मामलों की संख्या	अब तक अनिर्धारित मामलों के लिए किये गये प्रयास
2005-06	1,10,620	1,10,620	--	--
2006-07	84,403	84,403	--	--
2007-08	82,172	82,172	--	--
2008-09	87,857	10,243	77,614	मार्च, 2012 तक कालातीत इन मामलों के समय पर निर्धारण के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।
2009-10	47,450	1,762	45,688	मार्च, 2013 तक कालातीत इन मामलों के समय पर निर्धारण के लिये प्रयास किये जा रहे हैं ।

स्रोतः राज्य विभाग (सितम्बर, 2011)

विभाग ने अवगत कराया कि समय से निर्धारण पूरा करने के प्रयास जारी है ।

5.1.9 करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गए करापवंचन के मामलों का विवरण, निस्तारित मामले तथा वर्ष 2010-11 में अतिरिक्त कर की उदग्रहित माँग, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्न तालिका 5.1.9 में दर्शाया गया है-

तालिका-5.1.9

कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2010 को अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2010-11 के दौरान पकड़े गए मामले	योग	वर्ष 2010-11 के दौरान मामलों की संख्या जिसमें निर्धारण/जाँच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2011 को अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या
				मामलों की संख्या	(₹ लाख में)	
वाणिज्य कर/वैट	2308	2,999	5307	3814	773.38	1493

स्रोतः राज्य विभाग

5.1.10 कर वापसी

वाणिज्य कर विभाग ने 2010-11 में 95.15 *प्रतिशत* कर वापसी दावों का निस्तारण किया, जबकि स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के प्रकरणों में वर्ष के दौरान सभी मामले निस्तारित कर लिए गए थे, जैसा कि नीचे तालिका 5.1.10 में दर्शाया गया हैः

तालिका-5.1.10 (₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	वाणिज्य कर		पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	502	1319.65	शून्य	शून्य
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	6318	2920.90	12	214.83
3.	वर्ष के दौरान वापसी	6489	2645.88	12	214.83
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	331	1594.67	शून्य	शून्य

5.1.11 राज्य सरकार के हित का संरक्षण एवम् जवाबदेही लागू करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, (प्र म ले) निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार, लेनदेनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं । इन निरीक्षणों के आधार पर निरीक्षण आख्यायें (नि.आ.) तैयार की जाती हैं जिनमें निरीक्षण के समय पाई गई तथा स्थान पर ही निस्तारित न की गई अनियमितताएं होती हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती है एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को समुचित सुधार की कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नि.आ. में सम्मिलित टिप्पणियाँ का अनुपालन सुनिश्चित करके त्रुटियों एवं चूकों का सुधार समुचित रूप से करें एवम् अनुपालन आख्या प्र म ले को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर भेजें। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लाई जाती हैं ।

दिसम्बर 2010 तक निर्गत 1213 निरीक्षण आख्याओं से संबंधित ₹ 280.88 करोड़ के 2432 प्रस्तर जो जून 2011 तक बकाया थे तथा इनके साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे तालिका 5.1.11 में दर्शाये गये हैः-

तालिका-5.1.11

	जून 2009	जून 2010	जून 2011
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,098	1,159	1,213
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ की संख्या	2,211	2,323	2,432
अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)	228.11	245.26	280.88

30 जून 2011 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन व लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण नीचे तालिका 5.1.12 में दर्शाया गया है।

तालिका-5.1.12

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्राप्ति की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	350	915	70.79
		विद्युत शुल्क	56	66	68.05
		मनोरंजन कर, विलास कर आदि	50	81	1.21
2.	आबकारी	राज्य आबकारी	70	102	53.02
3.	राजस्व	भू-राजस्व	148	243	8.05
4.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	95	272	35.12
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	276	421	11.11
6.	अन्य	-	168	332	33.53
योग			**1213**	**2,432**	**280.88**

5.1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व प्राप्तियों के निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निस्तारण के लिये शासन द्वारा विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया था। बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निस्तारण के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान चार लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई और इन बैठकों के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान आबकारी एवं मनोरंजन कर विभागों से संबंधित 23 प्रस्तर निस्तारित किये गये ।

5.1.13 मसौदा लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित मसौदा लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्बन्धित विभाग के सचिवों को उनका ध्यान आकर्षित करते हुये उनकी आख्या छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है । निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत विभाग/शासन के उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में प्रलेख प्रस्तर के तथ्यों एवं आंकड़ों को विभाग/शासन की स्वीकारोक्ति मानते हुए इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर के अन्त में उल्लिखित कर दिया जाता है ।

5.1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग का प्रत्युत्तर- संक्षिप्त स्थिति

राज्य के गठन के बाद लोक लेखा समिति की अधिसूचना मई, 2001 में जारी की गयी । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है एवं विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर कार्यवाही प्रारंभ करते हैं । प्रतिवेदन पर शासन द्वारा कृत कार्रवाई/व्याख्यात्मक टिप्पणी को सरकार द्वारा समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है । सरकार/विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की जाती रही है । उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2000-01 से 2005-06 तक के राजस्व प्राप्ति प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति में 2005-06 से 2010-11 के वर्षों में विवेचित किए गए थे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी/कृत कार्रवाई के सात प्रकरण, 31 मार्च 2011 तक समिति के समक्ष लम्बित थे ।

5.1.15 लेखापरीक्षा आयोजना

विभिन्न विभागों की कार्यालय इकाईयों को उनके राजस्व स्थिति, पिछली लेखापरीक्षा टिप्पणियों की प्रवृत्तियाँ तथा अन्य मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम की श्रेणी में रखा जाता है । वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना जोखिमों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किये जाते है जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व एवं कर व्यवस्थापन के गहन मुद्दे जैसे बजट भाषण, वित्त लेखे पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य व केन्द्रीय), कर सुधार समिति की सिफारिशें एवं पिछले 5 वर्षों की राजस्व कमाई के सांख्यिकी विश्लेषण पूर्व पांच वर्षों के दौरान कर व्यवस्थापन के तथ्यों, लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं इसके प्रभाव इत्यादि का ध्यान रखा जाता है ।

वर्ष 2010-11 के दौरान कुल 574 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में 116 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी थी जिसमें से 2010-11 में 101 इकाईयों की लेखापरीक्षा हुयी थी, जो कुल योजनाबद्ध इकाईयों की 87 *प्रतिशत* थी ।

5.1.16 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों के लिए तन्त्र का विश्लेषण- वाणिज्य कर

प्रणाली के विश्लेषण के लिये निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाये गये महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभागों/शासन द्वारा वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित विगत 5 वर्षों के प्रस्तरों पर कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया ।

विगत 5 वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च 2011 तक की स्थिति निम्न तालिका 5.1.13 में दर्शायी गई है:

तालिका-5.1.13

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम अवशेष		
		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
1.	2006-07	180	384	16.57	34	137	3.69	शून्य	शून्य	शून्य	214	521	20.26
2.	2007-08	214	521	20.26	22	93	1.55	3	57	2.51	233	557	19.30
3.	2008-09	233	557	19.30	49	206	21.63	8	69	2.32	274	694	38.61
4.	2009-10	274	694	38.61	44	105	12.04	6	48	0.64	312	751	50.01
5.	2010-11	312	751	50.01	54	158	89.37	6	32	0.70	360	877	138.68

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों के निस्तारण के लिये शासन/विभाग द्वारा कोई भी लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। जैसा कि उक्त तालिका में विदित है, वर्ष 2006-07 के प्रारम्भ में बकाया 180 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 384 प्रस्तरों की संख्या वर्ष 2010-11 के अन्त में बढ़कर 360 प्रतिवेदनों में 877 प्रस्तर हो गयी थी, जबकि इस अवधि में 206 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

यह इस तथ्य को इंगित करता करता है कि विभाग द्वारा राज्य के राजस्व के हित में कार्यवाही के सकारात्मक प्रयास नहीं किये गये, जिसके परिणामस्वरूप अनिस्तारित प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की संख्या में वृद्धि हुई।

5.1.17 स्वीकृत प्रकरणों के राजस्व की वसूली

वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित पैराओं के संबंध में, ₹ 10.38 करोड़ निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को विभाग/सरकार ने स्वीकार किया, जिसका, 31 मार्च, 2011 तक, मात्र ₹ 2 लाख वसूल किया गया था- जैसा निम्न तालिका 5.1.14 में इंगित किया गया है।

तालिका-5.1.14

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किया गया मौद्रिक मूल्य	वसूली गयी धनराशि
2005-06	7.58	3.19	0.01
2006-07	1.03	0.02	0.01
2007-08	60.48	0.05	शून्य
2008-09	7.00	0.91	शून्य
2009-10	8.47	6.21	शून्य
योग	**84.56**	**10.38**	**0.02**

तथ्य यह है कि स्वीकृत धनराशि का मात्र 0.19 *प्रतिशत* वसूली की गई है जो कि सरकार की प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है ।

5.1.18 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2010-11 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 112 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि 241 मामलों में ₹ 115.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि हुई, जिसमें विभाग ने 13 प्रकरणों में ₹ 31.06 लाख स्वीकार किया और 44 प्रकरणों में ₹ 28.18 लाख की वसूली की ।

इस अध्याय के अन्तर्गत ₹ 1.03 करोड़ मौद्रिक मूल्य के दो प्रस्तर और क्रमशः ₹ 0.33 करोड़ एवं ₹ 0.36 करोड़ की आर्थिक प्रभाव के **"मोटरवाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण"** एवं **"अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा पत्रों के प्रतिसत्यापन"** पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है । विभाग/शासन ने ₹ 0.22 करोड़ के मौद्रिक मूल्य स्वीकार किया है । इनकी चर्चा अगले प्रस्तरों में की गई है ।

मोटर यान विभाग

5.2 " मोटरयान विभाग के कम्प्यूटरीकरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्यांश

- *'वाहन' एवं सारथी' सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु कम्प्यूटरीकरण की योजना पन्द्रह आर टी ओ, ए आर टी ओ कार्यालयों में दो चरणों में निष्पादित की गयी, जबकि आर टी ओ, देहरादून को 2003 में ही प्रारिम्भक आधार पर कम्प्यूटरीकृत किया गया । प्रथम चरण में मार्च, 2007 तक चार आर टी ओ एवं पाँच ए आर टी ओ को कम्प्यूटरीकृत किया गया जबकि द्वितीय चरण में, मार्च, 2010 तक छः ए आर टी ओ को कम्प्यूटरीकृत किया गया ।*

(*प्रस्तर 5.2.7*)

- *विभागीय पटल पर सम्पूर्ण आंकड़ों की प्रविष्टि विभागीय कर्मचारियों द्वारा की जाती है, लेकिन डेटाबेस प्रबन्धन बाह्यस्रोतित अभिकरण द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा डेटाबेस प्रबन्धन हेतु विभाग के अन्दर तकनीकी विशेषज्ञता का विकास नहीं किया ।*

(*प्रस्तर 5.2.9*)

- *क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय की अन्तर्सम्बद्धता के अभाव में कम्यूटरीकरण के अभिप्रेत उद्देश्य, जैसे कि अन्य सभी कार्यालयों में डाटा के ऑनलाईन प्रसारण, प्रतिसत्यापन, वाहनों के दोहरे पंजीकरण का उन्मूलन, फर्जी प्रतिरूप अनुज्ञप्तियों का उन्मूलन इत्यादि पूर्णरूप से हासिल नहीं की जा सकी ।*

(*प्रस्तर 5.2.10*)

- *राज्य समेकन पंजिका (रा स पं) तथा राज्य पंजिका (रा पं) के डेटाबेस में पुराने चालक अनुज्ञप्तियों के 80-90 प्रतिशत तथा पुराने पंजीकरण का 25-30 प्रतिशत की बकाया प्रविष्टियां अभी भी भरी जानी है। इस प्रकार राज्य पंजिका एवं राष्ट्रीय पंजिका उस हद तक अपूर्ण है।*

(*प्रस्तर 5.2.11*)

- *जाँच चौकियाँ महत्वपूर्ण प्रवर्तन बिन्दु है,जहाँ वैध परमिट एवं अनुज्ञप्तियों के धारण हेतु वाहनों की जाँच की जाती है। विभाग ने जाँच चौकियों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया क्रियान्वित नहीं की।*

(*प्रस्तर 5.2.12*)

- *वाहन व्यापारियों को व्यापार प्रमाण पत्र निर्गम हेतु 'वाहन' सॉफ्टवेयर में प्रावधान, मॉड्यूल नहीं बनाया गया है तथा इनको हस्तलिखित रूप से जारी किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समय से प्रमाण पत्र के नवीनीकरण नहीं हुए एवं निर्धारित*

- *शुल्क भी वसूल नहीं हुए। "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन राहत निधि" के अन्तर्गत अधिभार के उद्ग्रहण एवं वसूली हेतु भी सॉफ्टवेयर प्रावधान मॉड्यूल नहीं बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा जाँचे गये आठ आर टी ओ ए आर टी ओ कार्यालयों में से केवल दो ए आर टी ओ कार्यालयों में हस्तलिखित रूप से राशियों की वसूल की जा रही है ।*

(प्रस्तर 5.2.13, 5.2.14)

- *कर मॉड्यूल को एक ऐसी रीति से नहीं बनाया गया था जिससे प्रणाली में सही दूरी का मानचित्र बनाया जा सके, जिससे आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालकों द्वारा दूरी के हेर-फेर की संभावना बढ़ती है। नमूना जाँच की गई इकाईयों में, वाहन सॉफ्टवेयर में कम गणना देय अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, दरों दूरियों के गलत भरने के परिणामस्वरूप ₹ 2.58 लाख के अतिरिक्त कर की कम वसूली हुई।*

(प्रस्तर 5.2.15, 5.2.18)

- *हमने सारथी सिस्टम के क्रियान्वयन में अपर्याप्त पर्यवेक्षण नियंत्रण देखा, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षार्थी/नियमित चालन अनुज्ञप्तियों को निर्गत करने हेतु परीक्षणों के संचालन में अनियमितता तथा जारी की गई अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में अभिलेखों में अपर्याप्त अशुद्ध प्रलेखन हैं।*

(प्रस्तर 5.2.24)

5.2.1 प्रस्तावना

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य के प्रमुख राजस्व अर्जन विभागों में से एक, जो राज्य में चलने वाले वाहनों के नियमितीकरण तथा पंजीकरण, यातायात वाहनों को परमिट प्रदान करने, करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, शुल्क एवं अर्थदण्ड, चालक एवं परिचालकों के अनुज्ञप्तियों तथा यातायात वाहनों का स्वस्थता प्रमाण पत्र के कार्यों पर नियंत्रण रखने हेतु उत्तरदायी है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परिवहन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी लागू करके राष्ट्रीय डेटाबेस नेटवर्क के निर्माण हेतु एक योजना का शुभारम्भ किया। इस प्रकार, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को मानकीकृत अनुप्रयोग प्रारूप पर कार्य करने तथा ऐसे मानकीकृत प्रारूप एवं अन्तर्प्रचालनीय सॉफ्टवेयर के आधार पर बैकेंड प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे देश भर में पंजीकरण प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय परमिट/चालन अनुज्ञप्तियां पठनीय हो। इसके लिए, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) ने दो सॉफ्टवेयरों अर्थात् (1) 'वाहन'- पंजीकरण, करों/शुल्कों का निर्धारण एवं वाहनों की स्वस्थता हेतु, तथा (2) 'सारथी'- चालन अनुज्ञप्तियों का निर्गम/ नवीनीकरण हेतु तैयार किया। राज्य सरकार द्वारा मार्च,

2007 में चार आर टी ओ एवं पाँच ए आर टी ओ कार्यालयों तथा मार्च, 2010 में छः ए आर टी ओ कार्यालयों में सॉफ्टवेयर का परिचालन प्रारम्भ किया गया।

5.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग का प्रमुख होता है। राज्य में चार क्षेत्रीय तथा ग्यारह उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त 19 नियमित तथा पाँच सामयिक जांच चौकियाँ हैं। विभाग का संपूर्ण नियंत्रण परिवहन आयुक्त, देहरादून में निहित है।

5.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने उदेदश्य से संपादित की गयी थी कि :

- कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य कहाँ तक प्राप्त किया गया था;
- लागू कम्प्यूटरीकृत प्रणाली परिपूर्ण थी तथा यह सुनिश्चित करना कि, लिए गए डेटा शुद्ध तथा पूर्ण थे;
- सॉफ्टवेयर पर्याप्त रूप से कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप थे तथा यह सुनिश्चित करना कि कर एवं अतिरिक्त कर आदि विशुद्धता से वसूल किया गया;
- सॉफ्टवेयर में जाँच की पर्याप्त वैधता;
- मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में सामंजस्यता थी; एवं
- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान था।

5.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

हमारे द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों का संदर्भ लिया गयाः

- मोटर यान अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989;
- उत्तर प्रदेश मोटर यान नियम, 1998;
- उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003;
- उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार नियम, 2003; एवं
- विभागीय नियमावलीयाँ/अधिसूचनाएँ।

5.2.5 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा, चार आर टी ओ में से तीन[5], 11 ए आर टी ओ कार्यालयों में से पाँच[6], 19 जांच चौकियों में से तीन[7] तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय में अनुप्रयोग

[5] आर टी ओ; देहरादून, पौड़ी, नैनीताल।

[6] ए आर टी ओ; ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार।

[7] जांच चौकी : रुद्रपुर, काशीपुर, नारसन।

सॉफ्टवेयर, जिनका इन इकाईयों में लागू की गई अवधि अर्थात् मार्च, 2007 से मार्च, 2011 की नमूना जांच के माध्यम से जून, 2011 एवं अगस्त/सितम्बर, 2011 के मध्य संचालित की गयी थी। इकाईयों का चयन बिना "प्रतिस्थापना आकार समानुपातिक निदर्शन" (पी पी एस डब्ल्यू ओ आर) विधि के आधार पर किया गया। इस विधि के अन्तर्गत, प्रत्येक इकाई के लिए वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि में कुल राजस्व संग्रहण के आधार पर नमूने लिये गये। इकाईयों के चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया।

5.2.6 आभारोक्ति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में परिवहन विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। प्रवेश गोष्ठी दिनांक 24 जून, 2011 को सहायक परिवहन आयुक्त तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा के क्षेत्र पर चर्चा हुई। विभाग को मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रेषित किया गया (अक्टूबर, 2011)। निकासी गोष्ठी आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड के साथ दिनांक 06.02.2012 को गई थी। निकासी गोष्ठी में विभाग के उत्तर को निष्पादन लेखापरीक्षा के संगत प्रस्तरों में समाविष्ट कर लिया गया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.2.7 राज्य में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति

राज्य में चार आर टी ओ एवं 11 ए आर टी ओ हैं तथा इन आर टी ओ एवं ए आर टी ओ के कम्प्यूटरीकरण का कार्य, वर्ष 2003 में प्रारम्भिक आधार पर आर टी ओ, देहरादून में 'वाहन' के क्रियान्वयन के साथ प्रारम्भ किया गया। एन आई सी को 'वाहन' तथा 'सारथी' सॉफ्टवेयर की आपूर्ति एवं इसकी संस्थापन एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मेसर्स हिल्ट्रॉन, जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है, को कम्प्यूटरों, वाह्य उपकरणों, सर्वर तथा नेटवर्किंग उपकरण की आपूर्ति, संस्थापना एवं बेंचमार्किंग का कार्य सौंपा गया था। उपक्रम द्वारा कम्प्यूटरीकरण का कार्य दो चरणों में पूरा किया गया, जैसा कि निम्न तालिका 5.2.1 में वर्णित है,

तालिका 5.2.1

चरण	आर टी ओ का नाम	ए आर टी ओ का नाम	पूर्ण होने की तिथि
I	देहरादून, पौड़ी, नैनीताल एवं अल्मोड़ा	हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, उधम सिंह नगर एवं टनकपुर	मार्च, 2007
II	शून्य	टिहरी, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर	मार्च, 2010

इस प्रकार उपरोक्त से देखा जा सकता है कि आर टी ओ, देहरादून में मोटर यान विभाग के कम्प्यूटरीकरण, 2003 में प्रारम्भ होने से लेकर पूरा होने में लगभग सात वर्ष लगे। राज्य सरकार उपक्रम ने भी राज्य में कम्प्यूटरीकरण परियोजना पूरा करने में चार वर्ष लिये।

हिल्ट्रॉन के पास शेष निधि

मेसर्स हिल्ट्रॉन को संवितरित कुल निधि ₹ 5.11 करोड़ के विरुद्ध, उनके द्वारा ₹ 4.27 करोड़ का व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार, से, ₹ 83.99 लाख की शेष निधि वर्ष 2009 मेसर्स हिल्ट्रॉन के पास बकाया है।

निकासी गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि मेसर्स हिल्ट्रॉन को कोषागार में धन जमा करने का निर्देश दिया जा चुका है (जुलाई, 2011)।

5.2.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं सम्पत्ति के भौतिक सत्यापन का अभाव

हमने देखा कि आर टी ओ एवं ए आर टी ओ कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत कार्यप्रणाली पर आश्वासन प्राप्त करने हेतु कोई आन्तरिक आई टी लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। मुख्यालय ने दिनांक 18 अगस्त, 2008 को आई टी सम्पत्ति पंजिका के रखरखाव एवं इसके भौतिक सत्यापन हेतु परिपत्र जारी किया था। हमने देखा कि यद्यपि पंजिका का रखरखाव किया गया था, हमारे द्वारा जांची गई किसी भी इकाईयों में आई टी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

हम सिफारिश करते हैं कि शासन सुनिश्चित करे कि आन्तरिक/आई टी लेखापरीक्षा निरीक्षण, आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के भाग के रुप में संचालित किया जाय।

5.2.9 जनशक्ति प्रबन्धन एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कोई भी आई टी प्रणाली, यद्यपि प्रारम्भ में वाह्यस्रोत द्वारा विकसित/कार्यान्वित की जाती है तथापि विभाग में विशेषज्ञता का विकास कर, इसे निरपवाद रूप से अन्ततः विभाग को अधिगृहित करना होता है। यद्यपि, विभागीय पटल पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण आंकड़ों की प्रविष्टियां की जाती है, परन्तु डेटाबेस प्रबन्धन वाह्यस्रोतित अभिकरण द्वारा किया जाता है। आंकड़ों के महत्व एवं आंकड़ों की गोपनीयता के बावजूद, विभाग के अन्तर तकनीकी विशेषज्ञता का विकास विभाग द्वारा नहीं किया जा सका।

वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि में परिवहन विभाग के स्वीकृत पदों के सापेक्ष पदस्थापन के विवरण निम्न तालिका 5.2.2 में दिए गये हैः

तालिका 5.2.2

संवर्ग	स्वीकृति पद			कार्यरत कर्मी			कमी		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ग 'क'	11	11	11	06	06	06	05	05	05
वर्ग 'ख'	59	59	59	12	20	28	47	39	31
वर्ग 'ग'	476	476	476	270	276	289	206	200	187
योग	**546**	**546**	**546**	**288**	**302**	**323**	**258 (47%)**	**244 (45%)**	**223 (41%)**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि परिवहन विभाग में वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक जनशक्ति की 41 से 47 *प्रतिशत* की विचारणीय कमी है, जिससे विभाग की नियमित कार्यपद्धति पर प्रतिकूल असर पड़ा।

निकासी गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि रिक्त पदों को भरने हेतु नियुक्ति/पदोन्नति प्रगति पर है। विभाग ने आगे बताया कि एन आई सी द्वारा सेवारत कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है लेकिन परिणाम गुणवत्त नहीं। विशेषज्ञता की अनुपलब्धतता के कारण एन आई सी द्वारा प्रत्येक कार्यालय को एक डेटाबेस प्रशासक उपलब्ध कराया गया है ।

5.2.10 'वाहन' का आंशिक कम्प्यूटरीकरण- आर टी ओ की अन्तर्सम्बद्धता का अभाव

कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों में से एक था, आंकड़ों का एक आर टी ओ/ए आर टी ओ से दूसरे आर टी ओ/ए आर टी ओ तक स्वचालित प्रवाह हो।

हमने देखा कि यद्यपि सभी आर टी ओ एवं ए आर टी ओ कम्प्यूटरीकृत थे, परन्तु वे न तो एक दूसरे से अन्तर्सम्बद्ध थे और ना ही परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून से सम्बद्ध थे ।

अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच में पाया गया था कि आर टी ओ, देहरादून में पंजीकृत 16 वाहनों तथा ए आर टी ओ, रुद्रपुर में पंजीकृत 17 वाहनों का क्रमशः ए आर टी ओ टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार व आर टी ओ, हल्द्वानी में अतिरिक्त कर भुगतान किया गया। आर टी ओ/ए आर टी ओ की अन्तर्सम्बद्धता न होने के कारण, वाहन-स्वामियों द्वारा अतिरिक्त कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने तक आर टी ओ, देहरादून एवं ए आर टी ओ, रुद्रपुर द्वारा समाशोधन प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जा सके थे। इस प्रकार, अन्तर्सम्बद्धता के अभाव में कम्प्यूटरीकरण के अभिप्रेत उद्देश्य, जैसे कि अन्य सभी कार्यालयों में डाटा के ऑनलाईन प्रसारण, प्रतिसत्यापन, वाहनों के प्रतिरूप पंजीकरण, नकली प्रतिरूप अनुज्ञप्तियों का उन्मूलन इत्यादि पूर्णरूप से हासिल नहीं की जा सकी।

निकासी गोष्ठी के दौरान, विभाग ने बताया कि आर टी ओ/ए आर टी ओ कार्यालयों को ब्रॉडबैंड/वी पी एन से जोड़ा जा चुका है तथा आयुक्त कार्यालय, परिवहन विभाग, देहरादून

को लीज़ लाईन उपलब्ध करा दी गई है। तथापि राज्य एन आई सी इकाई में आँकड़े उपलब्ध हैं, जिसे एन आई सी से परामर्श के पश्चात् मुख्यालय पर भी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5.2.11 राज्य/राष्ट्रीय पंजिका का रखरखाव

राज्य समेकन पंजिका (रा स पं) एवं राज्य पंजिका (रा पं) का एन आई सी इकाई, देहरादून द्वारा रखरखाव किया जा रहा है। आँकड़ों को राज्य पंजिका से राष्ट्रीय पंजिका को भी भेजा जाता है। प्रारूप को राज्य सरकार के साथ-साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स प रा मं) की सलाह से तैयार किया गया है। आँकड़ों को अतिरिक्त सर्वर एवं पोर्टेबल हार्डडिस्क में लिया जाता है तथा उसे क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ब्राडबैंड/वी पी एन के माध्यम से रा स पं एवं रा पं तैयार करने तथा समेकन हेतु एन आई सी इकाई, देहरादून को भेजा जाता है।

सम्पर्क करने पर एन आई सी इकाई, देहरादून ने बताया कि रा स पं एवं रा पं पूरा कर ली गई है तथा राज्य सरकार से उन्हें प्रारम्भ करने का अनुरोध किया जा चुका गया है। बपौंती आंकड़ों (लीगेंसी डाटा) के विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराये गये थे; तथापि, परिवहन आयुक्त ने बताया कि पुराने चालन अनुज्ञप्तियों का 80-90 *प्रतिशत* तथा पुराने पंजीकरणों का 25-30 *प्रतिशत* अभी भी डेटाबेस में भरना शेष है। जो यह दर्शाता है कि राज्य पंजिका एवं राष्ट्रीय पंजिका उस हद तक अपूर्ण हैं।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने उत्तर में बताया कि पुराने चालन अनुज्ञप्तियों के बकाया आँकड़ों की प्रविष्टि तब की जाती है जब अनुज्ञप्ति नवीनीकरण या कोई अन्य प्रक्रिया हेतु प्राप्त होती है। चूँकि पुराने चालन अनुज्ञप्तियाँ अधिक संख्या में थी, अतः इस सम्बन्ध में एक नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। जहाँ तक पुराने वाहनों के पंजीकरण के बकाया आंकड़ों की प्रविष्टि का सम्बन्ध है, परिवहन वाहनों से सम्बन्धित आँकड़ों की प्रविष्टियाँ लगभग पूरी हो चुकी है। तथापि आर टी ओ/ए आर टी ओ को बकाया आँकड़े की प्रविष्टि के बारे में पुनः निदेशित किया जा चुका है।

हमने सिफारिश करते हैं कि राज्य सरकार, बकाया अनुज्ञप्तियों/पंजीकरण को भरने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

5.2.12 जाँच चौकियों का कम्प्यूटरीकरण न किया जाना

जाँच चौकियाँ महत्वपूर्ण प्रवर्तन बिन्दु हैं जहाँ वाहनों की वैध अनुज्ञा-पत्र के धारण एवं कर भुगतान की जाँच की जाती है। माल वाहन में माल के अधिक लदान की जाँच भी जाँच चौकियों पर की जाती है। यद्यपि विभाग का, जांच चौकियों को कम्प्यूटरीकृत करना

उद्देश्य था, लेकिन अब तक इसे क्रियान्वित नहीं किया गया था। हमारे द्वारा आगे देखा गया कि जांच चौकियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कोई पृथक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया था। राज्य में उन्नीस नियमित तथा पाँच सामयिक जाँच चौकियाँ हैं और जांच चौकियों में से काशीपुर चौकी की हमारी नमूना जाँच में देखा गया कि यहाँ पर बुनियादी ढाँचे की सुविधा, जैसे कि कम्प्यूटर स्थापित करने हेतु आवश्यक आवास, नहीं थे।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि जांच चौकियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था। शासन से अनुमोदनोपरान्त आगे कार्रवाई की जायेगी।

व्यावसायिक नियमों का मानचित्रण

5.2.13 'वाहन' में व्यापार प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में के मो या नियम 33 का गैर-मानचित्रण

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 33 के अनुसार, एक व्यापारी के अधिकार में मोटर वाहन के पंजीकरण की आवश्यकता से छूट होगी बशर्ते कि वह सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी से व्यापार प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेता है। व्यापार प्रमाणपत्र, निर्गम या नवीनीकरण तिथि से बारह माह की अवधि हेतु प्रभावी रहेगा। प्रमाणपत्र को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रतिवर्ष नवीनीकृत किये जाने की आवश्यकता होगी।

तीन आर टी ओ एवं पाँच ए आर टी ओ की नमूना जाँच में हमने पाया कि व्यापार प्रमाणपत्र हस्तलिखित रुप से जारी किये जा रहे थे। एन आई सी द्वारा विकसित किये गये 'वाहन' सॉफ्टवेयर में व्यापार प्रमाणपत्र के निर्गम, नवीनीकरण एवं शुल्क के संग्रहण के लिये कोई मॉड्यूल उपबन्धित नहीं था। दो आर टी ओ[8] एवं दो ए आर टी ओ[9] के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने पाया कि व्यापार प्रमाणपत्र का समय से नवीकरण नहीं किया गया था। नवीकरण में विलम्ब तीन माह से लेकर दो वर्ष तक थे।

आगे, ए आर टी ओ हरिद्वार में दो व्यापारियों ने 211 व्यापार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु आवेदन किया जिसके लिए ₹ 42,200 शुल्क के विरूद्ध ₹ 21,100 शुल्क जमा किया गया था। इस प्रकार व्यापारियों ने ₹ 21,100 कम जमा किये। व्यापार प्रमाणपत्र के निर्गमन हेतु सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल की गैर उपलब्धता के परिणामस्वरुप व्यापारियों द्वारा व्यापार प्रमाणपत्र के समय पर नवीनीकरण के अलावा जमा करने हेतु निर्धारित शुल्क की जांच का अभाव हुआ।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि व्यापार प्रमाणपत्र के निर्गमन हेतु सॉफ्टवेयर को राज्य एन आई सी इकाई के परामर्श से विकसित किया जायेगा।

---

[8] आर टी ओः देहरादून, पौड़ी

[9] ए आर टी ओः ऋषिकेश, हरिद्वार

5.2.14 'वाहन' में दुर्घटना राहत निधि के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 6 (5) का गैर-मानचित्रण

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 6 (5) के अनुसार, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन जहाँ एक सार्वजनिक सेवा वाहन को अतिरिक्त कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट है, वहाँ धारा 8 के अधीन स्थापित निधि, जिसे "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटनन राहत निधि के नाम से जाना जाता है, के प्रयोजन के लिये देय अतिरिक्त कर, यदि छूट प्रदान न की हो, का 5 *प्रतिशत* अधिभार उद्गृहित किया जायेगा ।

हमने पाया कि प्रवृत्त नियम को 'वाहन' सॉफ्टवेयर में मानचित्रित नहीं किया गया था एवं दो ए आर टी ओ कार्यालयों में हस्तलिखित रुप से निधि वसूल की जा रही थी, जबकि शेष छः आर टी ओ/ए आर टी ओ में इसे बिल्कुल वसूल नहीं किया जा रहा था। प्रावधान के अभाव में इन आर टी ओ/ए आर टी ओ में निधि की वसूली नहीं की गयी।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि विभाग को 'वाहन' में व्यापार प्रमाणपत्र जारी करने एवं दुर्घटना राहत निधि के सम्बन्ध में प्रावधानों को मानचित्रित करना चाहिए, जिससे व्यापार प्रमाणपत्र का समय पर नवीनीकरण तथा दुर्घटना राहत निधि की वसूली में एकरूपता हो।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि एन आई सी से परामर्श के पश्चात् लेखापरीक्षा सुझाओं के अनुसार दुर्घटना राहत निधि की गणना सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी।

हमने सिफारिश की कि विभाग, व्यावसायिक नियमों के सम्बन्ध में प्रावधान जैसे कि 'वाहन' में व्यापार प्रमाणपत्र के निर्गमन तथा दुर्घटना राहत निधि के मानचित्रण पर विचार करे।

5.2.15 'वाहन' की कर तालिका में दूरियों का अशुद्ध मानचित्रण

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003की अनुसूची चार के अनुच्छेद एक के अनुसार मंजिली गाड़ी के लिए अतिरिक्त कर की दर (प्रति सीट, प्रति तिमाही) 4500 किमी दूरी चलने तक ₹ 154/146 (मैदानी/पर्वतीय) है और यदि चली दूरी इस सीमा से अधिक होती है तो ₹ 0.04 प्रति किमी0/सीट की दर से 4500 किमी तक निर्धारित धनराशि में जोड़ दिया जायेगा। आगे अनुसूची के नीचे स्पष्टीकरण (1) में वर्णित दर्शाता है कि देय कुल तिमाही कर, दिए गए दर का उतना गुणा होगा, जो पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई अधिकतम सीटों की संख्या के अनुसार होगा। सॉफ्टवेयर द्वारा अतिरिक्त कर की गणना की जा रही है तथा प्रति तिमाही में चली दूरी

एवं सीटों की कुल संख्या के आवश्यक घटकों की कम्प्यूटर में प्रविष्ट किया जाना बाकी है।

हमने देखा कि सिस्टम द्वारा 4500 किमी से अधिक दूरी चलने वाली मंजिली गाड़ी द्वारा देय अतिरिक्त कर की ठीक से गणना नहीं की गयी थी । सिस्टम द्वारा कर की गणना के उद्देश्य के लिए 4500 किमी की प्रारम्भिक दूरी को हिसाब में नहीं लिया गया था। आंकड़ा प्रविष्टि संचालक द्वारा कर की सही धनराशि प्राप्त करने हेतु निश्चित दूरी को जोड़ा जाता था, जैसा कि निम्न तालिका **5.2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2.3

तय की गई वास्तविक दूरी	सिस्टम द्वारा प्रति तिमाही प्रति सीट आगणित कर	कर की सही धनराशि प्राप्त करने हेतु सिस्टम में प्रविष्ट की गई दूरी	प्रति तिमाही प्रति सीट देय वास्तविक कर	अभ्युक्तियां
9,000 किमी	₹ 180	12,648 किमी	₹ 326	विभाग द्वारा एक 'निशाना लगाएं एवं प्रयास करें' विधि लागू की गयी थी तथा उचित अतिरिक्त कर के साथ धनराशि मेल खाने तक दूरी को बढ़ाया गया।
7,200 किमी	₹ 108	10,848 किमी	₹ 254	

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात्, आपत्ति स्वीकार करते हुए आर टी ओ, पौड़ी तथा ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग द्वारा बताया गया कि जब वास्तविक दूरी भरी जाती है तब सॉफ्टवेयर कम अतिरिक्त कर की गणना करता है। इसलिये देय कर प्राप्त करने हेतु दूरी बढ़ाई गई है। ए आर टी ओ, कोटद्वार ने बताया कि मामले की जांच की जायेगी तथा की गयी कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

निकास गोष्ठी के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए विभाग ने बताया कि एन आई सी के परामर्श से सॉफ्टवेयर में सुधार किया जा रहा है।

पुराने आँकडों के डिजीटीकरण करते समय, ए आर टी ओ, हरिद्वार में हमने पाया कि वातानुकूलित बसों के विरूद्ध कर की त्रुटिपूर्ण दर भरी गई थी। कर की दर ₹ 255 प्रति सीट प्रति माह थी जबकि चार मामलों में डीलक्स बस को लागू ₹ 255 प्रति सीट, प्रति माह की दर त्रुटिपूर्ण रूप से भरी गई थी, जबकि अन्य मामलों में वातानुकूलित बस हेतु ₹ 160 प्रति सीट प्रति माह प्रभारित थी जो कि साधारण बस को लागू है। आँकड़ों की इस प्रविष्टि में चूक के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष पाँच वातानुकूलित बसों पर ₹ 0.61 लाख की अतिरिक्त कर की कम वसूली हुयी।

निकास गोष्ठी के दौरान, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकारते हुए विभाग ने बताया कि नोटिस जारी कर अन्तर की धनराशि वसूल कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त, एन आई सी से परामर्श के पश्चात् सॉफ्टवेयर में तदनुसार सुधार कर लिया जायेगा।

हमने सिफारिश करते हैं कि सिस्टम में सही दूरी मानचित्रित करने को सुनिश्चित करने हेतु विभाग कर माड्यूल को अद्यतन करने पर विचार करें, जिससे आंकड़ा प्रविष्टि संचालकों द्वारा दूरी में हेर-फेर करने से बचा जा सके।

5.2.16 प्रवर्तन मॉड्यूल में अर्थदण्ड के सम्बन्ध में व्यावसायिक नियमों का गैर-मानचित्रण

हमने पाया कि राज्य में प्रवर्तन मॉड्यूल प्रचालन में था। सचल दस्ता वाहनों की जांच करता है तथा अपराध की दशा में उन वाहनों का चालान (प्रपत्र पी बी पुस्तक में) करता है जो सार्वजनिक स्थानों पर अपराध करते हैं। वाहन स्वामी को सम्बन्धित आर टी ओ/ए आर टी ओ के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने हेतु चार माह का समय दिया जाता है और ऐसा करने में असफल होने की दशा में, न्यायालय में स्वामी के विरूद्ध वाद दाखिल किया जाता है।

यद्यपि सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में अधिनियमों/नियमों में उल्लिखित अपराध के विवरण मौजूद हैं, लेकिन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 153 दिनांक 15 जुलाई, 2009 द्वारा अधिसूचित प्रत्येक अपराध के विरूद्ध लगाये जाने वाले अर्थदण्ड की दर मौजूद नहीं है। विभाग द्वारा "अपराधपंजिका" हस्तलिखित रूप से तैयार की जा रही है तथा डेटाबेस में अपराध भरा जाता है। लगाये जा रहे अर्थदण्ड की दर के अभाव में, अर्थदण्ड/जुर्माना के लगाने में पारदर्शिता नहीं थी क्योंकि इसकी हस्तलिखित रूप से गणना की जाती थी। हमने यह भी पाया कि यहाँ इस प्रकार की कोई प्रणाली (एस एम एस चेतावनी/घटनास्थल पर ऑनलाईन सम्पर्क) विद्यमान नहीं थी, जिसके अन्तर्गत सड़क पर अपराध करने वाले वाहन के चालान के बाद प्रवर्तन शाखा तुरन्त संदेश भेज सकें और बिना विलम्ब के वाहन के अपराध को डेटाबेस में भरा जा सकें।

तीन[10] आर टी ओ, चार[11] ए आर टी ओ एवं एक जाँच चौकी, रुद्रपुर के अभिलेखों की हमारी जाँच में पाया गया कि 95 मामलों[12] में अधिक लदान का उल्लंघन, चालन अनुज्ञप्तियों को प्रस्तुत न करना, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, वाहनों का गैर पंजीकरण इत्यादि के कारण चालान किये गये थे। तथापि इन मामलों में सम्बन्धित आर टी ओ/ए आर टी ओ द्वारा अर्थदण्ड त्रुटिपूर्ण लगाये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.33 लाख का अर्थदण्ड कम आरोपित हुआ।

---

[10] आर टी ओः देहरादून, पौड़ी, नैनीताल

[11] ए आर टी ओः ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग

[12] आर टी ओः देहरादून=13, पौड़ी=14, नैनीताल=17; ए आर टी ओः ऋषिकेश=21, हरिद्वार=1, उधम सिंह नगर=12, रुद्रप्रयाग=10; जांच चौकीः रुद्रपुर=7

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने उत्तर में बताया कि आर टी ओ/ए आर टी ओ को संशोधित परिपत्र विलम्ब से प्राप्त हुये थे जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई । तथापि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

हमने सिफारिश करते हैं कि शासन, सिस्टम में अर्थदण्ड की दर के मानचित्रण हेतु विभाग को निदेशित करे तथा ऐसा कोई एक तरीका ईजाद करे जिससे चालान विवरण शीघ्र सम्बन्धित कार्यालय को भेजे जाय एवं डेटाबेस में भरे जाये।

5.2.17 'वाहन' में सिटी बस द्वारा देय अतिरिक्त कर की दर का गैर-मानचित्रण

विशिष्ट मार्गों पर चलने वाले वाहनों को मंजिली गाड़ी परमिट प्रदान किए जाते है। इनमें नगरपालिका सीमा के भीतर एवं बाहर चलने वाले वाहन शामिल है। दोनों के लिये अतिरिक्त कर की दरें भिन्न हैं। निश्चित मार्ग पर चलने वाले वाहनों के मामलों में अतिरिक्त कर की गणना हेतु दूरी कालम अनिवार्य है। तथापि नगरपालिका सीमा के भीतर चलने वाले वाहनों के लिये अतिरिक्त कर की दर नियत है ।

आर टी ओ, पौड़ी और देहरादून की हमारी जाँच में देखा गया कि नगर में चलने वाली मंजिली गाड़ियों द्वारा देय अतिरिक्त कर को वसूल किया जा रहा था, लेकिन ऐसे बसों की अतिरिक्त कर की गणना हेतु सॉफ्टवेयर में कोई विकल्प नहीं था। दोनों इकाईयों में सिटी बसों हेतु विकल्प के अभाव में ठेका गाड़ी या निजी सेवा वाहन परमिट के विकल्प का उपयोग कर अतिरिक्त कर वसूल किया गया था।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि एन आई सी से परामर्श के पश्चात् सॉफ्टवेयर में सिटी बस के विकल्प प्रदान करने हेतु कदम उठाया जायेगा।

सॉफ्टवेयर में सुधार किये जाने तथा सिटी बस हेतु विकल्प दिये जाने की आवश्यकता है

आंकड़ों की शुद्धता

5.2.18 सॉफ्टवेयर में दर के अशुद्ध भरने के कारण अतिरिक्त कर की कम उगाही

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की तीसरी अनुसूची (क) के प्रावधानों के अनुसार, माल वाहन पर अतिरिक्त कर की गणना, वाहन के सकल वाहन भार या उसके किसी भाग के लिये पर्वतीय मार्गों पर चलने पर ₹ 210 प्रति मिट्रिक टन तथा मैदानी मार्गों पर चलने पर ₹ 85 प्रति मिट्रिक टन की दर से की जायेगी।

आर टी ओ, देहरादून तथा ए आर टी ओ, ऋषिकेश के डेटाबेस की हमारी नमूना जाँच में देखा गया कि पर्वतीय मार्गों पर चलने वाले चार वाहनों के अतिरिक्त कर निकालते समय सॉफ्टवेयर में पर्वतीय के बजाय मैदानी का विकल्प भरा गया था। इसके परिणामस्वरूप जनवरी, 2006 एवं सितम्बर, 2011 के बीच की अवधि में ₹ 0.51 लाख के अतिरिक्त कर का कम भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात्, अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए आर टी ओ, देहरादून ने उत्तर दिया कि तीन वाहनों से सम्बन्धित ₹ 0.34 लाख के अन्तर की धनराशि वसूल की जा चुकी है। तथापि आपत्ति स्वीकार करते हुए ए आर टी ओ, ऋषिकेश ने उत्तर दिया कि वसूली हेतु नोटिस जारी किया जायेगा।

आगे, आर टी ओ, देहरादून एवं ए आर टी ओ, ऋषिकेश में दो ठेका गाड़ियों के मामलों में परमिट के गलत विकल्प भरने के कारण अतिरिक्त कर की कमतर वसूली हुई, परिणामस्वरूप ₹ 1.46 लाख का अतिरिक्त कर कम प्रभारित हुआ। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर में मानवीय हस्तक्षेप के कारण अतिरिक्त कर की अशुद्ध दर लगायी गयी थी।

निकास गोष्ठी के दौरान, विभाग ने बताया कि गलत विकल्प चयन के कारण अशुद्ध दर लागू हो गई थी। तथापि एन आई सी से परामर्श के पश्चात् सॉफ्टवेयर में सुधार किया जायेगा।

हम सिफारिश करते हैं कि विभाग प्रत्येक वाहनों हेतु सॉफ्टवेयर में परमिट विकल्प को लाक करने के प्रावधान पर विचार करें जिससे ऐसी अनियमितता तथा राजस्व के रिसाव को रोका जा सके।

5.2.19 'वाहन' आंकड़ों में अशुद्धियां

यातायात[13] के साथ-साथ गैर-यातायात[14] वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य है। विभागीय कम्प्यूटरीकरण के पश्चात्, पंजीकृत वाहनों के आँकड़ों को डेटाबेस में भरा जाता है।

वाहनों के पंजीकरण सम्बन्धी आँकड़े/अभिलेखों की हमारी जांच में निम्नलिखित कमियाँ देखी गयीः

सॉफ्टवेयर में दो भिन्न वाहनों के इंजन संख्या तथा चेसिस संख्या के अद्वितीय होने की नियन्त्रण जाँच हेतु बुनियादी इनपुट है। यदि दो वाहनों के समान इंजन संख्या या चेसिस संख्या भरी जाती है तो कम्प्यूटर, डुप्लीकेसी का संदेश प्रदर्शित करता हैः

- आर टी ओ, पौड़ी तथा ए आर टी ओ, कोटद्वार में वाहनों के पंजीकरण के सम्बन्ध में आँकड़ों की नमूना जाँच में देखा गया कि आंकड़ों को गलत भरने के कारण सत्रह मामलों में इंजन संख्या तथा चेसिस संख्या समान थी। अभिलेखों/बिक्री पत्रों, प्रपत्र 22, इन वाहनों के स्टेंसिल के आपसी मिलान पर हमने इसे भिन्न होना पाया। फलस्वरूप कुछ वाहन स्वामी के स्वायत्त में गलत चेसिस/इंजन संख्या के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर सी) थे।

---

[13] यातायात वाहन एक वाहन है जिसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है अर्थात् मंजिली गाड़ी, ट्रक, माल वाहन इत्यादि ।

[14] गैर-यातायात वाहन एक वाहन है जिसका उपयोग गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जात है अर्थात् मोटर साईकिल, मोटर कार इत्यादि ।

- आर टी ओ, देहरादून के डेटाबेस में प्रविष्ट किये गये आँकड़ों की नमूना जाँच में हमने देखा कि विभिन्न फर्मों के नाम पर 21 बसों का पंजीकरण किया गया था, लेकिन वाहनों के पंजीकरण हेतु उपलब्ध स्थान में "फर्म" के बजाय गलत स्वामित्व कूट "वैयक्तिक" प्रविष्टि किया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त अनियमितताएं, आँकड़े प्रविष्टि के सत्यापन में अनुमोदन के पूर्व, पर्यवेक्षण स्तरीय कर्मचारी के स्तर पर चूक को दर्शाता है।

प्रपत्र 20 (नियम 47) के अनुसार, प्रत्येक वाहन के क्रेता को वाहन के पंजीकरण के समय अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को प्रस्तुत करना होता है। पंजीकृत सभी वाहनों के सम्बन्ध में 'पैन' का स्थान रिक्त था। 92 मामलों में, बीमा कवर नोट संख्या खाली छोड़े थे। सात मामलों में, प्रपत्र 20 पर स्वामी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे और वाहनों का पंजीकरण किया गया था। 10 मामलों में, प्रपत्र 34 (गिरवी) रिक्त थे तथा केवल वित्तपोषक के मुहर एवं हस्ताक्षर थे।

उपरोक्त सभी अशुद्धियों ने 'वाहन' डेटाबेस की शुद्धता को प्रभावित किया। हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात्, अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए इकाईयों ने उत्तर दिया कि भविष्य के मार्गदर्शन हेतु इसको नोट कर लिया गया है।

निकास गोष्ठी के दौरान, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया कि सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा रहा है तथा भविष्य में एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है।

5.2.20 हस्तलिखित नकद प्राप्ति रसीदों को डेटाबेस में प्रविष्ट न किया जाना

हमने देखा कि निर्गत कम्प्यूटरीकृत रसीद की धनराशि का विवरण कम्प्यूटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हस्तलिखित रूप से प्राप्तियों को डेटाबेस में प्रविष्ट नहीं किया गया था। हस्तलिखित एवं कम्प्यूटर द्वारा प्राप्त धनराशि के विवरण को सहायक तथा मुख्य रोकड़ बही के माध्यम से निगरानी की जाती थी।

इस प्रकार सिस्टम में हस्तलिखित रूप से प्राप्तियों के विवरण को दर्ज करने के लिये प्रावधान नहीं था। इस तरह सभी लेनदेन का कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा निगरानी नहीं की जा रही थी, जिससे दुर्विनियोजन का अवसर मिलता है।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि डेटाबेस में हस्तलिखित प्राप्तियों को दर्ज करने हेतु एन आई सी से परामर्श किया जायेगा।

हम सिफारिश करते हैं कि दुर्विनियोजन के अवसर से बचने हेतु सॉफ्टवेयर में सभी लेनदेन की गैर निगरानी की समस्या को दूर करने की आवश्यकता है।

आंकड़ों की सुरक्षा

5.2.21 आकर्षक/इच्छित संख्या के निर्गम में वैधता जांच का अभाव

परिपत्र (सं. 821/ix/587/2007 दिनांक 12.12.2007) के अनुसार वाहन स्वामी द्वारा आरक्षित कोई इच्छित संख्या, ऐसे इच्छित संख्या के आरक्षण की तिथि को, नियत अन्तिम संख्या के आगे एक हजार की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में "अग्रिम संख्या आवंटन" का एक पृथक मॉड्यूल है। आरक्षित आकर्षक इच्छित संख्या, वाहन स्वामी को आवंटित किया जायेगा और ऐसे वाहन को आरक्षण की तिथि से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा, जिसके असफल होने पर आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियत शुल्क भुगतान के पश्चात् आवंटन हेतु अनुरोध करने वाले अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया जायेगा।

हमने दो[15] आर टी ओ और चार[16] ए आर टी ओ कार्यालयों में देखा कि 46 इच्छित नम्बरों को आरक्षण की तिथि पर नियत अन्तिम संख्या के एक हजार से परे निर्गत किया गया था । पुनः तीन[17] आर टी ओ एवं चार[18] ए आर टी ओ कार्यालयों में आकर्षक इच्छित संख्या के निर्गम के सम्बन्ध में अभिलेखों की हमारी नमूना जांच में देखा गया कि पच्चीस आकर्षक इच्छित नम्बरों को, आरक्षण की तिथि से तीस दिन के पश्चात् प्रस्तुत एवं पंजीकृत वाहनों को आवंटित किये गये थे। ये विलम्ब दो से तीन माह तक थे। पाँच प्रकरणों में, पंजीकरण संख्या जनवरी, 2008 में आरक्षित था लेकिन वाहनों को लेखापरीक्षा की तिथि अर्थात् अगस्त/सितम्बर, 2011 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था और इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

हमने देखा कि तीस दिन के पश्चात् इन आकर्षक/इच्छित पंजीकरण संख्या के स्वतः निरस्तीकरण हेतु सॉफ्टवेयर को नहीं बनाया गया था जैसा कि विभागीय निदेश के अनुसार किये जाने की आवश्यकता थी। ऐसी संख्या के आरक्षण की तिथि पर नियत अन्तिम संख्या के एक हजार की श्रृंखला के भीतर इच्छित नम्बर के निर्गम हेतु आवश्यक वैधता जाँच भी नहीं थी।

निकास गोष्ठी के दौरान अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया कि एन आई सी से आवश्यक वैधता जाँच रखने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

---

[15] आर टी ओः देहरादून, पौड़ी

[16] ए आर टी ओः ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग

[17] आर टी ओः देहरादून, पौड़ी, नैनीताल

[18] ए आर टी ओः ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग

हम सिफारिश करते हैं कि यदि वाहन को तीस दिन के भीतर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो इन आकर्षक/इच्छित पंजीकरण संख्याओ के स्वतः निरस्तीकरण हेतु सॉफ्टवेयर में विभाग सुधार करें, इसके अतिरिक्त, ऐसे नम्बर के आरक्षण तिथि को अन्तिम नियत संख्या के एक हजार श्रृंखला के भीतर इच्छित नम्बरों के निर्गम हेतु वैधता जाँच का प्रावधान करना चाहिए।

5.2.22 छुट्टियों में लेनदेन

विद्यमान कार्यप्रणाली के अनुसार, परिवहन विभाग में रविवार एवं अन्य दूसरे छुट्टियों में कार्य नहीं होता है तथा रविवार एवं छुट्टियों में लेनदेन बन्द रहता है। ए आर टी ओ, हरिद्वार के आँकड़ों की हमारी जाँच में पाया गया कि 869 मामलों में द्वितीय शनिवार एवं रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश (26जनवरी) को भी पंजीकरण निर्गत दिखाया गया था तथा शुल्क से सम्बन्धित 445 लेनदेन रविवार एवं छुट्टियों में किए गए थे।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी के आदेश पर छुट्टियों एवं रविवार को लेनदेन किया गया था। तथापि किसी दुरुपयोग से बचने के लिए सॉफ्टवेयर में "प्राधिकारी, जिसके आदेश से कार्यालय खोला गया था" का उल्लेख करने के लिये प्रावधान किया जा सकता था। इस हेतु एन आई सी से परामर्श के पश्चात् आवश्यक कदम उठाया जायेगा ।

5.2.23 चोरी हुये वाहनों के डेटाबेस का रखरखाव न किया जाना

वाहनों के पंजीकरण संख्या, चेसिस संख्या, वाहन के प्रकार, इंजन संख्या इत्यादि से सम्बन्धित जानकारी को चोरी, हानि के मामलों में कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु पुलिस विभाग से साझा किया होता है। 'वाहन' सॉफ्टवेयर, चोरी हुए वाहनों के लिये मॉड्यूल उपलब्ध कराता है। चोरी हुए वाहनों के डेटाबेस का, इन वाहनों के किसी लेनदेन को रोकने हेतु, रखरखाव तब तक किया जाय, जब तक कि वाहन सामान्य होने का पुनः दावा किया जाता है। पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चोरी हुए वाहनों की सूची का कम्प्यूटर में भरे गये आँकड़ों के साथ प्रतिसत्यापन में देखा गया कि इन इकाईयों द्वारा चोरी हुए वाहनों का कोई डेटाबेस का रखरखाव नहीं किया है।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि पुलिस विभाग को एक अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया जा चुका है जिससे राष्ट्रीय पंजिका डेटाबेस की पहुँच हेतु प्रयोक्ता पहचान प्रदान कर सकें। जैसे ही अधिकारी नामित होगा, प्रयोक्ता पहचान प्रदत्त कराया जायेगा ।

इस प्रकार, विभाग ने चोरी हुए वाहनों की सूचना प्राप्त करने का तंत्र स्थापित नहीं किया और 'वाहन' में चोरी हुए वाहनों हेतु विद्यमान मॉड्यूल को क्रियान्वित नहीं किया।

'सारथी'

5.2.24 चालन अनुज्ञप्ति के निर्गमन पायी गई खामियां

चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रारम्भिक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रारम्भ में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति जारी की जाती है। जब शिक्षार्थी को अनुज्ञप्ति जारी की जाती है, तो उस व्यक्ति से सम्बन्धित आँकड़ों को भरा जाता है तथा भरे हुए आँकड़ों के माध्यम से सभी अनुवर्ती लेनदेन की निगरानी की जाती है। चालन परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक स्थायी चालन अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

चालन अनुज्ञप्ति के निर्गम/नवीनीकरण से सम्बन्धित 'सारथी' सॉफ्टवेयर की जाँच में हमने देखा किः

- छः इकाईयों में शिक्षार्थी-अनुज्ञप्ति परीक्षण मौखिक रूप से संचालित किए गये थे, जबकि दो इकाईयों में लिखित परीक्षण किया जा रहा था। पुनः ए आर टी ओ, कोटद्वार में 50 *प्रतिशत* अंक पाने वाले आवेदक को उत्तीर्ण घोषित किया गया था, जबकि के मो या नियम, 1989 के अनुसार, न्यूनतम उत्तीर्ण *प्रतिशत* 60 *प्रतिशत* है।
- परिवहन आयुक्त कार्यालय के परिपत्र दिनांक 18 जुलाई, 2006 के अनुसार, प्रति कार्यदिवस जारी चालन अनुज्ञप्तियों की अधिकतम संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन निर्देशों को, दुर्घटनाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु जारी किया गया था।

आर टी ओ, देहरादून एवं ए आर टी ओ, हरिद्वार में चालक अनुज्ञप्ति के निर्गम से सम्बन्धित आँकड़ों की जाँच में हमने देखा कि 1,62,517 एवं 74,807चालन अनुज्ञप्तियां क्रमशः वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में जारी किये गये थे। अतः आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रति कार्यदिवस औसतन 270 एवं 124 अनुज्ञप्तियां जारी की गई थी, जिससे चालन कौशल के परीक्षण की गुणवत्ता उन्नयन, जैसा कि विभाग द्वारा विचारित है, का उद्देश्य विफल हुआ।

- विभाग में घातक दुर्घटना में शामिल व्यक्तियों के निरस्त चालन अनुज्ञप्तियों का डेटाबेस नहीं है। इस प्रकार उनके विवरण विभागीय वेबसाईट पर नहीं रखे गये हैं।

चालन अनुज्ञप्ति के निर्गमन के सम्बन्ध में दो[19] आर टी ओ तथा चार[20] ए आर टी ओ कार्यालयों में हस्तलिखित अभिलेखों/फाइलों की जाँच में हमने देखा किः

---

[19] आर टी ओः देहरादून, पौड़ी

[20] ए आर टी ओः ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग

- 21 मामलों में, मोटर यान के चालन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र (प्रपत्र 4) पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं थे, जबकि अनुज्ञप्ति को जारी कर दिया गया था;
- 27 मामलों में, आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर, अनुज्ञप्ति पर डिजिटल हस्ताक्षर से भिन्न थे;
- पाँच मामलों में, आवेदन पत्र (प्रपत्र 4) पर फोटो चस्पा नहीं था;
- जहाँ आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक थी, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के सम्बन्ध में पाँच मामलों में से दो में जरूरी चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे तथा तीन मामलों में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर चस्पा फोटो, अनुज्ञप्ति पर लगे फोटो से भिन्न थे;
- के मो या नियम, 1989 के अनुसार, बिना गियर की मोटर साईकिल चलाने हेतु अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करने वाले अवयस्क के मामलों में माता-पिता या अभिभावक की सहमति अनिवार्य है। नौ मामलों में, अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व, सहमति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किये गये थ; तथा
- 13 मामलों में, जहां हल्के मोटर वाहन चलाने हेतु चालन अनुज्ञप्ति जारी की गयी थी, वहं वाहन, जिसके लिये चालन परीक्षण किया गया था, के अंकित पंजीकरण संख्या हल्के मोटर वाहन की बजाय मोटर साईकिल का था तथा दो मामलों में, जहां मोटर साईकिल चलाने हेतु अनुज्ञप्ति जारी किये गये थे, वहां चालन परीक्षण के लिये उपयोग किये गये वाहन का पंजीकरण संख्या हल्के मोटर वाहन के थे।

उपरोक्त उदाहरण, शिक्षार्थी/नियमित अनुज्ञप्तियों, प्रलेखन तथा जारी किये गये अनुज्ञप्तियों हेतु चालन परीक्षण के संचालन पर आर टी ओ अधिकारियों के अपर्याप्त पर्यवेक्षी नियंत्रण दर्शाते हैं।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि त्रुटियों को सुधार लिया गया है तथा जागरूक रहने तथा त्रुटियों की पुनरावृत्ति न होने का निर्देश दिया जा चुका है। आगे बताया कि 'सारथी' सॉफ्टवेयर में शिक्षार्थी लाइसेंसधारी परीक्षण हेतु प्रावधान है लेकिन इसके परिचालन हेतु अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता है। बजट उपलब्धता के आधार पर एन आई सी के सहायता से इसके परिचालन हेतु कदम उठाये जायेंगे।

5.2.25 अन्य क्रियान्वयन मुद्दे

5.2.25.1 स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का गैर नवीनीकरण

मोटर यान अधिनियम, 1988 (एम वी एक्ट) की धारा 56 के अनुसार, किसी यातायात वाहन को तब तक वैधता पूर्वक पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का धारण नहीं करता हो। पुनः के मो या नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार, नये पंजीकृत यातायात वाहन के सम्बन्ध में

अधिनियम के अधीन प्रदान किये गये स्वस्थता प्रमाणपत्र दो वर्ष के लिये वैध है तथा उसके पश्चात् निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता होती है।

नमूना लेखा परीक्षित इकाईयों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के साथ यातायात वाहनों की तुलनात्मक स्थिति निम्न तालिका **5.2.4** में दिया गया है:

तालिका **5.2.4**

क्रम सं.	इकाईयों के नाम	स्वास्थ्य हेतु शेष वाहनों की कुल संख्या (2007-08 से 2010-11)			स्वस्थता प्रदान न किये गये वाहनों की कुल संख्या (2007-08 से 2010-11)		
		भारी	मध्यम	हल्के	भारी	मध्यम	हल्के
1.	आर टी ओ, देहरादून	6,712	1,450	8,445	201	88	270
2.	ए आर टी ओ, कोटद्वार	1,578	419	5,566	14	27	149
3.	ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग	141	154	1,675	10	13	94
योग		**8,431**	**2,023**	**15,686**	**225**	**128**	**513**
		26,140			**866**		

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 26,140 वाहनों में से 866 वाहनों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र न तो नवीनीकृत थे और न ही बिना स्वास्थ्य के चलने वाले वाहनों के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू की गई थी। यहाँ अभिलिखित करने तथा स्वस्थता प्रमाणपत्र पाने की आवश्यकता के अनुवर्तन हेतु कोई संरचित तंत्र नहीं था।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि स्वास्थ्य शुल्क केवल उन स्वामियों से वसूल किया जाता है जो स्वास्थ्य हेतु अपने वाहनों को प्रस्तुत करते हैं तथा नियत तारीख के पश्चात् स्वास्थ्य हेतु विलम्ब शुल्क प्रभारित किया जाता था। इसके अलावा, सड़क जांच के दौरान बिना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के चलने वाले वाहनों पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया था। विभाग के उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अभिलिखित करने तथा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता के अनुवर्तन के लिए कोई संरचित तंत्र नहीं था।

5.2.25.2 स्वस्थता दण्ड की गैर-वसूली

के मो या नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार, स्वस्थता का प्रमाणपत्र प्रदान करने/नवीनीकरण के लिए परीक्षण करने हेतु शुल्क, हल्के मोटर वाहन (एल एम वी) के मामले में ₹ 200, मध्यम मोटर वाहन हेतु ₹ 300 तथा भारी मोटर वाहन के मामले में

₹ 400 है। पुनः उ प्र मोटर यान नियम, 1998 (उत्तराखण्ड में यथा अंगीकृत) के अनुसार, विलम्ब से स्वास्थ्य के मामले में, देय शुल्क के बराबर का अर्थदण्ड का भुगतान किया जायेगा। सॉफ्टवेयर द्वारा स्वास्थ्य शुल्क के साथ अर्थदण्ड, यदि कोई हो, की गणना की जाती है।

हमने देखा कि दो[21] ए आर टी ओ कार्यालयों से सम्बन्धित 22 मामलों में सॉफ्टवेयर द्वारा सूचना प्रदर्शित नहीं की गयी, यद्यपि वाहन द्वारा देय तिथि के पश्चात् अपनी स्वस्थता प्राप्त किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 7,400 के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

निकास गोष्ठी के दौरान आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया कि एक वाहन के मामले में राशि वसूल की जा चुकी है जबकि चार वाहनों के मामले में, सूचनाएं तामील करा दी गई है। अन्य वाहनों हेतु वसूली कर ली जायेगी।

5.2.26 अन्य राज्यों से स्थानान्तरित वाहनों के पंजीकरण संख्या का गैर-समनुदेशन

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 47 सहपठित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 54 में प्रावधान है कि जब कोई मोटर यान, जो एक राज्य में पंजीकृत है, बारह माह से अधिक की अवधि हेतु अन्य राज्य में रखा जाता है तो उस वाहन का स्वामी, उस अवधि के भीतर एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में उस समय वह वाहन चलता है, पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा तथा उस पंजीकरण प्राधिकारी को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

अन्य राज्य में पंजीकृत एवं इस राज्य में स्थानान्तरित वाहनों हेतु पंजीकरण संख्या के समनुदेशन के मामलों में, निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु नमूने में ली गई इकाईयों में से दो आर टी ओ एवं तीन ए आर टी ओ के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना निम्न तालिका **5.2.5** में दिए गए हैः

तालिका 5.2.5

क्रम सं.	इकाई का नाम	पंजीकरण संख्या के समनुदेशन हेतु बकाये वाहनों की कुल संख्या (2007-2008 से 2009-2010)			पंजीकरण संख्या से समनुदेशित वाहनों की कुल संख्या (2007-2008 से 2009-2010)			नये पंजीकरण संख्या के समनुदेशन हेतु बकाया वाहन (2007-2008 से 2009-2010)			समनुदेशन हेतु बकाये वाहनों हेतु कुल समनुदेशन शुल्क (2007-2008 से 2009-2010) (₹ हजार में)		
		भारी	मध्यम	हल्का	भारी	मध्यम	हल्का	भारी	मध्यम	हल्का	भारी	मध्यम	हल्का
1.	आर टी ओ, देहरादून	256	24	61	52	07	13	204	17	48	204x0.6= 122.40	17x0.4= 6.80	48x0.3= 14.40
2.	आर टी ओ, नैनीताल, स्थान-हल्द्वानी	1063	20	24	17	-	01	1046	20	23	1046x0.6= 627.60	20x0.4= 8.00	23x0.3= 6.90
3.	ए आर टी ओ, ऋषिकेश	86	02	09	25	01	06	61	01	03	61x0.6= 36.60	01x0.4= 0.40	03x0.3= 0.90

[21] ए आर टी ओः हरिद्वार, रुद्रप्रयाग

क्रम सं.	इकाई का नाम	पंजीकरण संख्या के समनुदेशन हेतु बकाये वाहनों की कुल संख्या (2007-2008 से 2009-2010)			पंजीकरण संख्या से समनुदेशित वाहनों की कुल संख्या (2007-2008 से 2009-2010)			नये पंजीकरण संख्या के समनुदेशन हेतु बकाया वाहन (2007-2008 से 2009-2010)			समनुदेशन हेतु बकाये वाहनों हेतु कुल समनुदेशन शुल्क (2007-2008 से 2009-2010) (₹ हजार में)		
		भारी	मध्यम	हल्का	भारी	मध्यम	हल्का	भारी	मध्यम	हल्का	भारी	मध्यम	हल्का
4.+	ए आर टी ओ, हरिद्वार	17	12	17	08	04	05	09	08	12	09x0.6= 5.40	08x0.4= 3.20	12x0.3= 3.60
5.	ए आर टी ओ, कोटद्वार	16	01	94	16	-	76	-	01	18	-	01x0.4= 0.40	18x0.3= 5.40
योग		**1,438**	**59**	**205**	**118**	**12**	**101**	**1,320**	**47**	**104**	**792.00**	**18.80**	**31.20**
महायोग				**1702**			**231**			**1471**			**842.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में 1,702 वाहनों में से केवल 231वाहनों के नये पंजीकरण संख्या समनुदेशित किये गये थे, जबकि 1,471 वाहनों को नये पंजीकरण संख्या समनुदेशित नहीं थे। इस प्रकार विभाग इन वाहनों के पंजीकरण में तत्पर नहीं था, यद्यपि उनके पास संगत आँकड़े थे, परिणामस्वरूप 'वाहन' में अपूर्ण एवं अविश्वसनीय आंकड़े थे । इसके अतिरिक्त समनुदेशन शुल्क हेतु ₹ 8.42 लाख का राजस्व-वसूली नहीं हुई ।

राज्य भर में ऐसे वाहनों की कुल संख्या और अधिक होगी ।

निकास गोष्ठी के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया कि समस्त पंजीकरण अधिकारियो को अन्य राज्यों में पंजीकृत एवं इस राज्य में स्थानान्तरित यातायात वाहनों को राज्य के पंजीकरण संख्या समनुदेशित करने हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु अनुदेश जारी किए जा रहा थे।

5.2.27 वाहन की अनुमत आयु से परे पर्यटक परमिट प्रदान करना

के मो या नियम, 1989के नियम 82(2)(ए) एवं नियम के नीचे सहपठित स्पष्टीकरण के अनुसार, मैक्सी कैब के मामले में एक पर्यटक परमिट उस तिथि, जब मोटर वाहन की परमिट आठ वर्ष पूर्ण होती है, से अवैध समझा जायेगा जब तक कि मोटर वाहन बदल नहीं दिया जाता। आठ वर्ष की अवधि मोटर वाहन के प्रारम्भिक पंजीकरण की तिथि से गणना की जायेगी।

मैक्सी कैब को पर्यटक परमिट जारी करने के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि 18 वाहनों (मैक्सी कैब) को, स्वीकार्य 8 वर्ष की बजाय 9 वर्ष की अवधि के लिए, परमिट जारी किया गया था।

निकास गोष्ठी के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया कि दस वाहनों के मामलों में परमिट निरस्त किया जा चुका था तथा छः वाहनों के मामले में नोटिस जारी किये जा चुके है। पुनः वाहन की आयु सीमा के सम्बन्ध में सॉफ्टवेयर में नियन्त्रण हेतु एन आई सी से परामर्श के पश्चात् आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

5.2.28 प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने हेतु तैयारी

- अब तक लेखापरीक्षित क्षेत्रीय कार्यालयों में देखा गया कि प्रत्येक कार्यालय में अतिरिक्त सर्वर संस्थापित किया गया है जिससे दोष या दुर्घटना के कारण सर्वर की विफलता की दशा में तुरन्त काम शुरू हो सके।
- कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में एंटीवायरस को अद्यतन नहीं किया गया था जिससे सिस्टम को वायरस के हमले एवं आंकड़ों के भ्रष्ट होने का सन्देह बना रहता है।
- परिवहन आयुक्त कार्यालय सहित चार इकाईयों में अग्नि सुरक्षा उपाय, जैसे कि अग्निशामक यंत्र, अग्नि चेतावनी एवं धूम्र पहचान प्रणाली या तो पर्याप्त संख्या में नहीं थे अथवा मौजूद नहीं थे।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि बजट की कमी के कारण एंटीवायरस एवं अन्य सुरक्षा उपाय पूर्व में उपलब्ध नहीं कराये गये थे। प्रयोक्ता प्रभार का लागू किए जाने पश्चात् कार्यालयों को एंटीवायरस तथा अन्य सुरक्षा उपाय हेतु बजट उपलब्ध कराया जा रहा है।

5.2.29 कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों एवं हस्तलिखित अभिलेखों/विवरण में विसंगतियां

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विवरण एस-4[22] एवं एस-5[23] को मुख्यालय कार्यालय भेजा जाना होता है। तीन[24] आर टी ओ तथा दो[25] ए आर टी ओ कार्यालयों में विवरण एस-4 एवं एस-5 एवं वाहन के पंजीकरण आँकड़ों की प्रतिसत्यापन में देखा गया कि विवरण में दिखाये गये आँकड़े, डेटाबेस में भरे गये आँकड़ों के साथ मेल नहीं खाते थे। इस प्रकार सिस्टम द्वारा उत्पन्न सूचना प्रामाणिक एवं विश्वसनीय नहीं हो सकती।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि डेटाबेस में बकाया आँकड़ों का भराव न होने के कारण वार्षिक विवरण एवं डेटाबेस में अन्तर था। तथापि, मासिक विवरण के मामले में विभाग ने आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई त्रुटि नहीं होगी।

5.2.30 औद्योगिक बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 3 के साथ पठित उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार नियम, 2003 के नियम 28 एवं 29 के अनुसार,

---

[22] माह में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या दर्शाने वाला एक मासिक विवरण।

[23] तत्सम्बन्धी वर्ष के अन्त में पंजीकृत वाहनों की प्रगामी योग दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण।

[24] आर टी ओः देहरादून, पौड़ी, नैनीताल।

[25] ए आर टी ओः ऋषिकेश, हरिद्वार।

औद्योगिक बसों पर अतिरिक्त कर के छूट हेतु कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात् अतिरिक्त कर आरोपणीय है।

दो[26] आर टी ओ एवं 'एक'[27] ए आर टी ओ कार्यालयों की जांच में देखा गया कि 27 औद्योगिक बसों को अतिरिक्त कर से छूट प्रदान की गई थी जिसके परिणामस्वरुप प्रति वर्ष ₹ 6.73 लाख का अतिरिक्त कर अनारोपणीय रहा।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि हरिद्वार और देहरादून में 20 वाहनों में से 15 वाहनों को निजी सेवा वाहन परमिट आवंटित किया गया था, चार वाहनों को अभ्यर्पित कर दिया गया जिसके लिए अतिरिक्त कर की वसूली नहीं की जानी थी तथा एक वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अधीन चलता था जिसके लिए निगम द्वारा अतिरिक्त कर का भुगतान किया गया था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि अधिनियम या बनाये गये नियम के अधीन औद्योगिक बसों को कोई छूट प्रदान नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त हमने यह भी पाया कि विभाग पूर्व में औद्योगिक बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित कर चुका है। यह दर्शाता है कि ऐसे बसों पर अतिरिक्त कर के आरोपण पर एकरूपता नहीं है।

5.2.31 यूटिलिटी वाहनों पर मार्गकर का कम आरोपण

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की प्रथम अनुसूची के भाग-डी, अनुच्छेद-II के प्रावधानों के अनुसार, यात्रियों की सीमित संख्या की सवारी हेतु किराए पर चलने वाले वाहन और यात्री-सामान की एक सीमित मात्रा के परिवहन हेतु वाहन के प्रत्येक मिट्रिक टन या उसके भाग पर कर के अतिरिक्त यात्री सीट की प्राधिकृत संख्या के सम्बन्ध में समान अनुसूची की अनुच्छेद-I भाग-डी के अन्तर्गत कर देय है।

दो[28] आर टी ओ और पाँच[29] ए आर टी ओ में सॉफ्टवेयर की हमारी नमूना जांच में देखा गया कि 1,377 वाहनों[30] पर मार्गकर प्रति तिमाही प्रति वाहन ₹ 365 की बजाय ₹ 255 की दर से, गलत तरीके से आरोपित किया गया था, परिणामस्वरूप मार्गकर ₹ 6.06 लाख प्रति वर्ष की कम वसूली हुयी।

निकास गोष्ठी के दौरान विभाग ने बताया कि एन आई सी से परामर्श के पश्चात् उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कर एवं अतिरिक्त कर की गणना हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा।

---

[26] आर टी ओःदेहरादून, नैनीताल।

[27] ए आर टी ओः हरिद्वार।

[28] आर टी ओ, देहरादून, पौड़ी ।

[29] ए आर टी ओ, ऋषिकेश, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, कोटद्वार, रुद्रप्रयाग ।

[30] आर टी ओ, देहरादून=1027,पौड़ी=62, ए आर टी ओ, ऋषिकेश=183, हरिद्वार=34, उधम सिंह नगर=13, कोटद्वार=30, रुद्रप्रयाग=28 ।

5.2.32 निजी वाहनों पर एकमुश्त मार्गकर का कम आरोपण

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की प्रथम अनुसूची के भाग बी के अनुसार, निजी वाहनों के मामलों में एकमुश्त मार्गकर, वाहन के मूल्य का 2.5 *प्रतिशत* की दर से गणना की जायेगी। यह कर बिक्री बीजक पर दिखाये गये मूल्य पर आरोपित किया जाता है।

आर टी ओ, पौड़ी तथा ए आर टी ओ, कोटद्वार में अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच में देखा गया कि 23 वाहनों के मामलों में एकमुश्त मार्गकर कम प्रभारित है, क्योंकि पंजीकरण हेतु मॉड्यूल में उपलब्ध कराये गये स्थान पर वाहन के मूल्य भरते समय बिक्री चालान में दिखाये गये वैट की धनराशि को नहीं लिया गया था। फलस्वरूप इन वाहनों के मामले में ₹ 0.20 लाख का एकमुश्त मार्गकर कम प्रभारित रहा।

निकास गोष्ठी के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया कि ए आर टी ओ, कोटद्वार के द्वारा दो वाहनों से वसूली की जा चुकी है तथा आर टी ओ, पौड़ी द्वारा वसूली हेतु नोटिस जारी किये जा रहे थे।

5.2.33 वाहनों के पंजीकरण में गलत वर्गीकरण

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 की धारा 4 (2) में प्रावधान है कि कोई परिवहन वाहन किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रथम अनुसूची के भाग-डी में यथानिर्धारित ऐसे मोटर वाहन के सम्बन्ध में लागू दर पर कर का भुगतान नहीं कर देता। पुनः निजी सेवा वाहन वह है जो ऐसे वाहन के स्वामी द्वारा या उसकी ओर से, अपने व्यापार या व्यवसाय के सम्बन्ध में, छः व्यक्तियों से अधिक को ढोने में साधारणतया उपयोग किया जाता है, किन्तु इसमें सार्वजनिक उपयोग हेतु भाड़े एवं पारिश्रमिक पर चलने वाले मोटर वाहन शामिल नहीं है। ये परिवहन वाहन की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।

आर टी ओ, नैनीताल एवं ए आर टी ओ, हरिद्वार व उधम सिंह नगर में सात वाहनों के निजी सेवा वाहन परमिट की हमारी नमूना जाँच में देखा गया कि वाहनों को गलत तरीके से गैर-यातायात वाहन में वर्गीकृत किया गया था एवं एकमुश्त मार्गकर प्रभारित किया गया था, जबकि इन्हें यातायात वाहन में पंजीकरण किये जाने की आवश्यकता थी तथा तिमाही मार्गकर एवं मासिक अतिरिक्त कर भुगतान करने के लिये जिम्मेदार थे। इन वाहनों के पंजीकरण में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.19 लाख मार्गकर तथा ₹ 5.78 लाख अतिरिक्त कर अनारोपित रहा।

निकासी बैठक के दौरान विभाग ने बताया कि समस्त आर टी ओ ए आर टी ओ को निर्देशित किया जा रहा है कि निजी सेवा वाहन पर एकमुश्त मार्गकर प्रभारित न किया जाय ।

5.2.34 निष्कर्ष

यद्यपि विभाग में कम्प्यूटरीकरण वर्ष 2003-2010 की अवधि में 'वाहन' तथा 'सारथी' अनुप्रयोग सिस्टम द्वारा पूरा हो चुका है, लेकिन कम्प्यूटरीकरण के पूर्व के वाहन के पंजीकरण (25-30*प्रतिशत*) तथा अनुज्ञप्तियों (80-90 *प्रतिशत*) से सम्बन्धित बकाया आंकड़े पूर्ण नहीं थे जिससे सभी निर्गत अनुज्ञप्तियों तथा किये गये पंजीकरण का पूर्ण डेटाबेस होने का उद्देश्य विफल हो गया। इस तरह से राज्य समेकन पंजिका (रा स पं) एवं राज्य पंजिका (रा पं) उस हद तक अपूर्ण हैं। जाँच चौकियों का कम्प्यूटरीकरण नहीं किया जा सका। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय कार्यालय की अन्तर्सम्बद्धता के अभाव में आर टी ओ एवं ए आर टी ओ कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का अभिप्रेत उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सका। 'वाहन' सॉफ्टवेयर में व्यवसाय कराधान नियम सुनिश्चित नहीं किया गया था जिसके कारण सिटी बस पर कर, व्यापार प्रमाणपत्र तथा दुर्घटना राहत निधि संग्रहित नहीं किए गए थे। विभिन्न सॉफ्टवेयर कमियों के कारण विशेष रूप से कर की गणना में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। वाहनों के पंजीकरण के गलत वर्गीकरण के कारण मार्गकर एवं अतिरिक्त कर अनारोपित रहा। हस्तीय रूप से संग्रहित कर/शुल्क को कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस में दर्ज न करके दुर्विनियोजन की संभावना पर, दुर्बल, छोड़ दिया। आँकड़ों को गलत भरने के कारण कुछ वाहन स्वामियों के स्वायत्त में गलत चेसिस/इंजन संख्या वाले पंजीकरण प्रमाणपत्र थे। कुछ मामलों में, वाहन के पंजीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये स्थान में "फर्म" की बजाय गलत स्वामित्व कूट "वैयक्तिक" दर्ज किये गये थे। जारी चालन अनुज्ञप्तियों की अधिकतम संख्या एक दिन में 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दिन में जारी चालन अनुज्ञप्तियों की औसत अधिकतम संख्या 270 भी पहुंची, जिससे चालन कौशल के परीक्षण की गुणवत्ता से समझौता किया गया। विभाग द्वारा आकर्षक/इच्छित संख्या के निर्गम पर नियंत्रण करने हेतु सिस्टम का उपयोग नहीं किया गया। पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई चोरी हुए वाहनों की सूची से कम्प्यूटर में भरे गये आँकड़ों की आपसी जाँच में देखा गया कि समन्वय तंत्र के अभाव में इकाईयों द्वारा चोरी हुए वाहनों का कोई डेटाबेस का रखरखाव नहीं किया गया। इसके अतिरक्त, दोषसिद्ध वाहन के चालान पर अर्थदण्ड का कम प्रभार, गैर-नवीनीकरण/स्वस्थता प्रमाण पर गैर-वसूली/स्वस्थता शास्ति, अन्य राज्यों से स्थानान्तरित वाहनों के पंजीकरण संख्या का गैर समनुदेशन तथा वाहन के अनुमन्य आयु से परे पर्यटक परमिट प्रदान करने के मामले थे। विभाग में आन्तरिक नियंत्रण कमजोर थे जैसा कि आन्तरिक आई टी लेखापरीक्षा शाखा न होने से प्रमाणित हुआ था। विभाग द्वारा डेटाबेस प्रशासन हेतु तकनीकी विशेषज्ञता का विकास करने की कोशिश नहीं की गई थी।

5.2.35 संस्तुतियां

प्रणाली तथा अन्य मुद्दों में सुधार करने के लिए शासन निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू करने पर विचार करेः

- *राज्य पंजिका एवं राष्ट्रीय पंजिका के डेटाबेस को पूर्ण करने हेतु पुराने पंजीकरण तथा अनुज्ञप्तियों की बकाये आँकड़े प्रविष्ट करें;*
- *सिटी बसों, व्यापार प्रमाणपत्र एवं दुर्घटना राहत निधि हेतु सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल्स का विकास करें;*
- *आन्तरिक आई टी लेखापरीक्षा निरीक्षण सुनिश्चित करें तथा आँकड़ों की पूर्णता एवं शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तर पर आन्तरिक नियंत्रण सुदृढ़ करें;*
- *प्राथमिकता के आधार पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करें जो वाह्यस्रोतीय अभिकरण पर निर्भरता को कम करें यह आँकड़ों की सत्यनिष्ठा के हित में होगा;*
- *यह सुनिश्चित करने के लिये कि सिस्टम में सही दूरी का मानचित्रण किया गया है जिससे आँकड़ा प्रविष्टि संचालकों द्वारा दूरी के हेरफेर से बचा जा सके, कर मॉड्यूल को अद्यतन करे;*
- *क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय कार्यालयों को अन्तर्सम्बद्ध करे तथा चोरी हुए वाहनों के मामलों में लेनदेन रोकने हेतु पुलिस विभाग से सम्पर्क स्थापित करे;*
- *सिस्टम में अर्थदण्ड की दरों को मानचित्रित किया जाना चाहिए तथा चालान विवरणों को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को शीघ्र भेजा जाना चाहिए और अर्थदण्ड के सही आरोपण हेतु डेटाबेस में भरा जाना चाहिए;*
- *सॉफ्टवेयर में परमिट विकल्प को नियंत्रित रखने के प्रावधान की पहल की जाये जिससे परमिट के गलत विकल्प की अनियमितता पर रोक लगे तथा राजस्व के परिणामी रिसाव पर रोक लगे;*
- *यदि वाहन को तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आकर्षकध्इच्छित पंजीकरण संख्या के स्वतः निरस्तीकरण हेतु सॉफ्टवेयर में सुधार करना चाहिए तथा ऐसी संख्या के निर्गमन से सम्बन्धित अनियमितताएं रोकने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक वैधता रोक प्रदान करें;*
- *हस्तलिखित रूप से हुई नगद प्राप्तियों की, डेटाबेस में प्रविष्टि, सुनिश्चित करें; तथा*
- *दुर्घटनाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए चालन कौशल परीक्षण की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु प्रतिदिन 50 की निर्धारित सीमा के अन्दर चालन अनुज्ञप्तियों को जारी किया जाय।*

वाणिज्य कर विभाग

5.3 "अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

- *विभाग द्वारा वैधानिक प्रपत्रों को क्रमानुसार जारी नहीं किया गया, जो उनका दुरुपयोग और राजस्व हानि के कारण हो सकते हैं।*

[प्रस्तर 5.3.9.1]

- *विवरणियों को दाखिल करने हेतु मुहैया कराये गये अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का केवल वर्ष 2009-10 में परिचालन किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के पूर्व के विवरणियों को नहीं भरा गया। प्रपत्रों के निर्गम हेतु मॉड्यूल को पूर्णतः परिचालन अभी भी किया जाना शेष है। जांच चौकियों के कम्प्यूटरीकरण तथा कार्यालयों से उनकी अन्तर्सम्बद्धता का कार्य पूरा नहीं किया गया।*

[प्रस्तर 5.3.9.2]

- *टिनएक्सिस में सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के आंशिक परिचालन के कारण अन्तर्राज्यीय लेनदेन के संगत प्रपत्रों को केन्द्रीय सर्वर में अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रतिसत्यापन प्रक्रिया बाधित हो रही है।*

[प्रस्तर 5.3.9.3]

- *विभाग की स्वतंत्र आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी तथा वर्ष 2007-10 की अवधि के दौरान कर निर्धारण की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी।*

[प्रस्तर 5.3.9.5]

- *सत्यापन परिणामों की जांच में हमने देखा कि राज्य के दो विक्रेताओं व्यापारी ने प्रपत्र 'सी' में छूट का दावा किया पर उन्हें तत्सम्बन्धी क्रेताओं व्यापारियों को निर्गत किया हुआ नहीं पाया गया। आरोपणीय अर्थदण्ड के अतिरिक्त, इन नकली प्रपत्रों पर ₹ 6.78 लाख का कर अन्तर्निहित था।*

[प्रस्तर 5.3.9.6]

- *14 प्रपत्र 'ग' एवं 15 प्रपत्र 'च' की छायाप्रतियों पर अनियमित रियायत/छूट दी गयी। इन अनियमित रियायत/छूट में ₹ 17.39 लाख का कर अन्तर्निहित था।*

[प्रस्तर 5.3.9.7]

- *एक तिमाही से अधिक के लेनदेन शामिल प्रपत्र 'ग' तथा एक कैलेण्डर माह से अधिक के लेनदेन शामिल प्रपत्र 'च' पर अनियमित रियायत/छूट प्रदान की गयी। इन अनियमित रियायत/छूट में ₹ 1.27 लाख का कर अन्तर्निहित था।*

[प्रस्तर 5.3.9.8]

❖ *पंजीयन प्रमाणपत्र में गैर-शामिल माल के क्रय पर अनियमित रियायत प्रदान की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.16 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।*

[प्रस्तर 5.3.9.9]

5.3.1 प्रस्तावना

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 (के बि क अधिनियम) सहपठित केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीकरण एवं आवर्त) नियम, 1957 (के बि क नियम), के बि क (संशोधन) अधिनियम, 1972 एवं उ प्र व्यापार कर अधिनियम एवं नियम, 1948, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यथाअंगीकृत तथा उत्तराखण्ड के बि क नियम, 2006 में नियत है कि प्रत्येक व्यापारी, जो अन्तर्राज्यीय व्यापार में माल, जो क्रय करने वाले व्यापारी के पंजीयन प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट है, पंजीकृत व्यापारी को बिक्री करता है तो मार्च, 2007 तक चार *प्रतिशत*, अप्रैल, 2007 से मई, 2008 तक तीन *प्रतिशत* तथा जून, 2008 से दो *प्रतिशत* की दर से कर के भुगतान का दायी होगा, यदि ऐसे क्रय प्रपत्र 'ग' में घोषणा द्वारा समर्थित हो। विक्रय के माध्यम से भिन्न, एक पंजीकृत व्यापारी को राज्य के बाहर स्थित अन्य कारोबार स्थान पर माल के अन्तरण के दावे, का प्रपत्र 'च' में निर्धारित घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने पर, कर से छूट है । नियमों में, घोषणा प्रपत्रों के उपयोग के लेखाओं के रखरखाव के संबंध में, अत्यधिक जिम्मेदारी दी गयी है । घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग के विरूद्ध सुरक्षा में नियमों एवं परिपत्रों में अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है ।

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि उत्तराखण्ड राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा घोषणा प्रपत्रों पर रियायत एवं छूट के दावे को सही प्रकार से स्वीकार किया गया है ।

5.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

उत्तराखण्ड राज्य में वाणिज्य कर विभाग कुमाऊं एवं गढ़वाल दो परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनका मुख्यालय क्रमशः रुद्रपुर एवं देहरादून में स्थित है । इन दोनों परिक्षेत्रों में चार सम्भाग है । इन चार सम्भागों में मार्च, 2010 तक 21 उपायुक्त (कर निर्धारण) एवं 43 सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) हैं । इनके अतिरिक्त जांच चौकियां एवं व्यापार कर कार्यालय हैं । विभाग का समग्र नियंत्रण, आयुक्त वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून में निहित है ।

5.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य हैः

- वैधानिक प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग की प्रणाली की पर्याप्तता, विश्वसनीयता तथा प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है,

- सुनिश्चित करना है कि क्या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये गये छूट/रियायत मूल घोषणा प्रपत्रों द्वारा समर्थित थे?,
- सुनिश्चित करना है कि क्या करापवंचन रोकने हेतु प्रपत्रों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिसत्यापन की प्रणाली विद्यमान है?,
- टिनएक्सिस में विवरण अपलोड करने तथा प्रपत्रों की यथार्थता सत्यापित करने हेतु आँकड़े के उपलब्ध होने की प्रणाली का विश्लेषण करना है,
- सुनिश्चित करना है कि क्या नकली, अवैध एवं दोषपूर्ण (बिना उचित या अपर्याप्त विवरण के) प्रपत्रों का पता लगाने एवं प्राप्त करने पर उचित कदम उठाये गये हैं? एवं
- निर्धारित करना है कि क्या विभाग में प्रभावी एवं पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है?

5.3.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु हमारे द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों का संदर्भ लिया गयाः

- केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956,
- केन्द्रीय बिक्रीकर (पंजीयन एवं आवर्त) नियम, 1957,
- केन्द्रीय बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1972,
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यथाअंगीकृत उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम एवं नियम, 1948,
- उत्तराखण्ड केन्द्रीय बिक्रीकर नियम, 2006 एवं
- विभागीय नियमावली/अधिसूचनाएं

5.3.5 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्र

घोषणा प्रपत्रों के सत्यापन के प्रावधानों, परिचालन की पद्धति, प्रभावकारिता एवं दक्षता, अनुपालन की मात्रा का मूल्यांकन करने की दृष्टि से नवम्बर, 2010 से जनवरी, 2011 तक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गयी । इस प्रयोजन हेतु तीन उपायुक्त (कर निर्धारण) एवं सात सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) के कर निर्धारण अभिलेखों की, कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि में अन्तर्राज्यीय व्यापार के संबंध में किये गये समस्त कर निर्धारण, जो वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक पूरा कर लिया गया, अभिलेखों की नमूना जांच की गयी ।

हमें अन्य राज्यों के महालेखाकर कार्यालयों द्वारा 862 प्रपत्र 'ग' एवं 305 प्रपत्र 'च' प्रतिसत्यापन हेतु प्राप्त हुये । हमने 701 प्रपत्र 'ग' एवं 235 प्रपत्र 'च' का सत्यापन किया और हमने अन्य राज्यों के महालेखाकार कार्यालयों को प्रतिसत्यापन हेतु 79 प्रपत्र 'ग' एवं 50 प्रपत्र 'च' भेजा। जिनमें से हमें 56 प्रपत्र 'ग' एवं 38 प्रपत्र 'च' के सत्यापन परिणाम प्राप्त हुए। इन सत्यापन परिणामों को इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ।

5.3.6 आभारोक्ति

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारम्भ के पूर्व अपर आयुक्त (प्रशासन) एवं उपायुक्त, वाणिज्य कर (मुख्यालय) के साथ 15 नवम्बर, 2010 को प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा के क्षेत्र की चर्चा की गई । निष्पादन लेखापरीक्षा की समापन गोष्ठी नहीं हुई।(नवम्बर, 2011) ।

5.3.7 राजस्व प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि के केन्द्रीय बिक्रीकर की कर संग्रहण की स्थिति एवं वृद्धि दर निम्न तालिका 5.3.1 में सारणीबद्ध है:

तालिका 5.3.1 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	राजस्व का संग्रहण (के बि क)	वृद्धि दर
2007-08	132.63	(-) 6.84*
2008-09	168.24	26.85
2009-10	262.51	56.03

* *वर्ष 2006-07 की कुल राजस्व (के बि क) ₹ 142.37 करोड़ रही ।*

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में के बि क प्राप्तियों में 56.03 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई।

5.3.8 जनशक्ति प्रबन्धन

वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि में वाणिज्य कर विभाग की स्वीकृत पद के सापेक्ष प्रभावी पद निम्न तालिका 5.3.2 में सारणीबद्ध है:

तालिका 5.3.2

संवर्ग	स्वीकृत पद			कार्यरत कर्मी			कमी		
	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
वर्ग 'क'	56	56	57	24	26	33	32	30	24
वर्ग 'ख'	294	294	294	155	148	199	139	146	95
वर्ग 'ग'	987	989	989	339	387	410	648	602	579
योग	**1337**	**1339**	**1340**	**518**	**561**	**642**	**819 (61%)**	**778 (58%)**	**698 (52%)**

हमारे द्वारा जांच में देखा गया है कि विभाग द्वारा, कर निर्धारण वर्ष 2005-06 तक के कर निर्धारण पूरे किये जा चुके थे तथा मार्च, 2010 को वर्ष 2006-07 के कर निर्धारण प्रगति पर थे । इसके पूरे होने की समय सीमा जून, 2010 तक बढ़ा दी गयी थी। मानवशक्ति की कमी से विभाग पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जैसा कि के बि क कर निर्धारण के बकाये से दृष्टव्य है ।

5.3.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणाली कमियां

5.3.9.1 वैधानिक प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग की प्रणाली

समस्त वैधानिक प्रपत्रों की निजी छापाखानों के माध्यम से छपाई की जाती है जिसके लिये विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है । छपाई के पश्चात् इन प्रपत्रों को विभाग के मुख्यालय कार्यालय के भंडारों द्वारा प्राप्त किया जाता है । भंडारों से इन प्रपत्रों को संयुक्त आयुक्तों को उनकी आवश्यकतानुसार निर्गत किया जाता है । संयुक्त आयुक्तों द्वारा पुनः इन प्रपत्रों को मांगपत्र के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारियों अर्थात् उपायुक्तों एवं सहायक आयुक्तों को जारी करता है ।

वैधानिक प्रपत्रों को, ऐसी राशि अर्थात् विभाग द्वारा समय-समय पर जो शुल्क नियत किये जाये, के भुगतान के पश्चात् कर निर्धारण प्राधिकारियों से पंजीकृत व्यापारियों को प्राप्य है । कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारुप में दो पंजिकाओं का रखरखाव किया जाता हैः एक-संयुक्त आयुक्त कार्यालयों से प्राप्त प्रपत्रों एवं उनके विभिन्न व्यापारियों को निर्गम का लेखा रखने तथा अन्य- व्यापारीवार जारी किये गये एवं व्यापारियों द्वारा उपयोग किये गये प्रपत्रों के साथ इन प्रपत्रों हेतु भुगतान किये गये शुल्क के विवरण का लेखा रखा जाता है ।

राजस्व रिसाव उत्पन्न करने लायक दुरूप्रयोग की संभावना की रोक सुनिश्चित करने हेतु इन प्रपत्रों की उचित प्राप्ति, अभिरक्षा एवं निर्गम का दायित्व विभाग पर है। यह महत्वपूर्ण है कि इन प्रपत्रों को जारी करने वाले सभी प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि ये क्रमानुसार जारी किये गयें हैं, जिससे किसी हेरफेर या दुरुपयोग को टाला जा सके। उत्तराखण्ड के बि क नियम में भी इन प्रपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं उपयोग के लेखाओं के रखरखाव के संबंध में व्यापारियों पर विशेष रुप से जिम्मेदारी है।

के बि क (उत्तराखण्ड) नियम 2006 के नियम 8(14) एवं (15) में प्रावधान है कि आयुक्त, ऐसी तिथि, जो वह नियत करे, से प्रभावी विशेष श्रृंखला, बनावट या वर्ण के घोषणा प्रपत्रों को अप्रचलित एवं अवैध घोषित कर सकता है एवं उसके जगह भिन्न श्रृंखला, बनावट या वर्ण के प्रतिस्थापित कर सकता है तथा सभी व्यापारी, आयुक्त द्वारा

उसमें विनिर्दिष्ट तिथि पर या पूर्व सभी अप्रयुक्त प्रपत्रों, जो उनके अधिकार में है, को अभ्यर्पित कर देगा तथा उसके बदले में ऐसे प्रपत्रों जिसे प्रतिस्थापित किया गया है, प्राप्त करेगा। आगे अधिनियम की धारा 58 (XXIX) में प्रावधान है कि यदि व्यापारी मिथ्या या झूठा घोषणा का प्रपत्र या प्रमाणपत्र जारी या प्रस्तुत करता है जिसके कारण से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर अनारोपणीय रहता है, वह अर्थदण्ड के रूप में इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संबद्ध माल के मूल्य के चालीस *प्रतिशत* से अनधिक या ऐसे माल पर आरोपणीय कर का तीन गुना, जो भी अधिक हो, अदा करेगा ।

अभिलेखों एवं अन्य सूचनाओं तथा प्रपत्रों से संबंधित दस्तावेजों की हमारी संवीक्षा में निम्नलिखित ज्ञात हुआः

मुख्यालय के प्रपत्र 'ग' निर्गम पंजिका की जांच के दौरान हमारे द्वारा देखा गया कि श्रृंखला वैट यू ए/डी टी-06 से सम्बद्ध क्रम सं. 140001 से 145000 तक के 5000 प्रपत्रों को संयुक्त आयुक्त, काशीपुर को जारी किये गये थे एवं तत्पश्चात् उसी श्रृंखला के प्रपत्र 'ग' जारी करने के बजाय दिनांक 9 मई, 2007 को अन्य श्रृंखला यू के वैट/सी 2007 (क्रम सं. 00001 से 20000) के 20000 प्रपत्रों को जारी किया गया । क्रम सं. 145001 से 150000 तक (5000 प्रपत्रों) के पुरानी श्रृंखला के प्रपत्रों को विभाग द्वारा तीन वर्षों से अधिक अर्थात् लेखापरीक्षा की तिथि तक जारी नहीं किया गया । क्रम से प्रपत्रों को जारी न करना नियंत्रण तंत्र को विफल करता है और दुरुपयोग और करापवंचन के कारण बनते हैं।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए कहा कि उक्त प्रपत्र स्टॉक में है एवं जारी किया जायेगा (जनवरी, 2011)

विभाग ने अधिसूचित (नवम्बर, 2006) किया कि, विशेष श्रृंखला के प्रचलित प्रपत्र 'ग' को 31 दिसम्बर, 2006 के पश्चात् अवैध घोषित कर दिया गया है तथा ऐसी तिथि के पश्चात् विभाग या व्यापारी द्वारा इन प्रपत्रों को जारी नहीं किया जाय ।

तथापि स आ (क नि), कोटद्वार एवं स आ (क नि)-II, देहरादून के प्रपत्र निर्गत पंजिका की जांच में ज्ञात हुआ कि जनवरी, 2007 से मार्च, 2007 की अवधि में विभाग द्वारा अवैध घोषित किये गये श्रृंखला के 1303 (303+1000) प्रपत्र 'ग' 166 (50+116) व्यापारियों को जारी किये गये थे ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा कहा गया कि मामले को देखा जायेगा तथा लेखापरीक्षा को कार्रवाई से अवगत कराया जायेगा ।

इसी प्रकार एक उ आ (क नि) एवं दो स आ (क नि) के अभिलेखों की जांच, 5.3.3 में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यापारी को प्रपत्र 'ग'

इसके अवैध होने की तिथि के पूर्व जारी किये गये, परन्तु व्यापारी द्वारा अवैध प्रपत्रों को वैध से बदलने की बजाय ₹ 34.42 करोड़ के 640 प्रपत्रों को, अवैध घोषित किये जाने की तिथि के पश्चात् अन्य व्यापारियों को जारी किये गये जैसा कि नीचे **तालिका 5.3.3** में दर्शाया गया हैं।

तालिका 5.3.3 *(₹ करोड़ में)*

कर निर्धारण प्राधिकारी का नाम	अवैध प्रपत्रों को जारी करने वाले व्यापारियों की संख्या	जारी किये गये अवैध प्रपत्रों की कुल संख्या	कुल राशि जिसके लिए प्रपत्र जारी किया गया	आरोपणीय अर्थदण्ड
उपायुक्त (क नि)-। काशीपुर	10	516	32.86	13.14
सहायक आयुक्त (क नि)-II हल्द्वानी	5	20	0.13	0.05
सहायक आयुक्त (क नि) रामनगर	11	104	1.43	0.57
योग	**26**	**640**	**34.42**	**13.76**

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन व्यापारियों के मामलों का कर निर्धारण करते समय अनियमितता का ध्यान नहीं रखा गया ।

लेखापरीक्षित इकाईयों की 'प्रपत्र निर्गम पंजिका' की जांच में हमारे द्वारा देखा गया कि यद्यपि पुस्तक में प्राप्ति एवं निर्गम सही दर्ज थे, तथापि व्यापारियों द्वारा प्रपत्रों की प्राप्ति की गवाह द्वारा संपुष्टि कराने की आवश्यकता का पालन नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाईयों ने उत्तर दिया कि आपत्ति को दर्ज कर लिया गया है तथा भविष्य में अनुपालन किया जायेगा ।

हमने सिफारिश की कि छपे घोषणा प्रपत्रों, विशेष अवधि के दौरान जारी प्रपत्रों एवं विशेष तिथि को उपलब्ध प्रपत्रों की स्पष्ट स्थिति बनाये रखी जानी चाहिए । घोषणा प्रपत्रों की निर्गम पंजिका में प्रारम्भिक शेष, प्राप्ति, निर्गम, अन्तिम शेष इत्यादि स्पष्ट रूप से दर्शाते हुये उचित रूप से रखरखाव किया जाय तथा प्रपत्रों को कालानुक्रमिक रूप से जारी किया जाय । कर निर्धारण प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है कि अवैध घोषित प्रपत्रों पर अस्वीकृति प्रदान करते समय सावधानी बरतें ।

5.3.9.2 वाणिज्य कर विभाग का कम्प्यूटरीकरण

विभाग का अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) उत्तराखण्ड राज्य इकाई द्वारा विकसित किया गया था । चार मॉड्यूलों- व्यापारी डाटाबेस, पंजीकरण, विवरणी एवं प्रपत्रों का विकास किया गया था ।

जांच में हमारे द्वारा निम्नलिखित कमियां देखी गयीः

- विवरणी फाईल करने हेतु मॉड्यूल केवल 2009-10 में संचालित हो सका, जिसके फलस्वरूप इस अवधि के पूर्व की विवरणी दर्ज न हो सकी । उन मामलों में भी

जहां विवरणी सिस्टम में दर्ज की गयी, विवरणी के साथ संलग्न अभिलेख जैसे व्यापारियों की क्रय एवं विक्रय सूची कम्प्यूटर में दर्ज नहीं की जा रही थी, जिससे प्रतिसत्यापन के द्वारा दावों की प्रमाणिकता की जांच की कम गुंजाईश है।

- प्रपत्रों को जारी करने हेतु मॉड्यूल अभी भी पूर्ण रूप से कार्यान्वित होना बाकी है, केवल 'प्रपत्र 16' यानि आयात हेतु घोषणा प्रपत्र जारी किया जा रहा है ।
- सॉफ्टवेयर में कर के विलम्ब से भुगतान का पता लगाने तथा उस पर देय ब्याज की गणना हेतु कोई अन्तर्निर्मित तंत्र नहीं है ।

अन्तर्राज्यीय व्यापार से सम्बद्ध व्यापारियों द्वारा किये गये कर के सही भुगतान की जांच एवं क्रेडिट दावों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु जांच चौकी एवं उनकी अन्तर्सम्बद्धता का कम्प्यूटरीकरण एक आवश्यक उपकरण है । तथापि, यह देखा गया कि, कार्यालयों एवं जांच चौकियों की अन्तर्सम्बद्धता का कार्य पूरा नहीं किया गया है ।

2007-08 से 2009-10 के दौरान कम्प्यूटरीकरण हेतु वर्षवार बजट आवंटन निम्न तालिका 5.3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.3.4 *(₹ लाख में)*

वर्ष	बजट आवंटन	उपयोग	समर्पित	परिवर्तित
2007-08	400.00	13.42	249.76	136.81
2008-09	400.00	81.62	188.33	130.00
2009-10	200.00	62.91	08.09	129.00

तालिका से स्पष्ट है कि 2007-10 की अवधि के दौरान आवंटित ₹ 10 करोड़ में से केवल ₹ 1.58 करोड़, जो कि बजट आवंटन का मात्र 15.80 *प्रतिशत* है, का कम्प्यूटरीकरण के लिये उपयोग किया गया । शेष धनराशि या तो समर्पित या परिवर्तित कर दी गयी । निधि की उपलब्धता के बावजूद कार्यालयों एवं जांच चौकियों की अन्तर्सम्बद्धता का कार्य पूरा नहीं किया गया है ।

5.3.9.3 टिनएक्सिस पर डाटा अपलोड करना

टिनएक्सिस (टैक्सेशन इनफारमेशन एक्सचेन्ज सिस्टम), अन्तर्राज्यीय व्यापारियों का डाटा बेस का उद्देश्य सभी अन्तर्राज्यीय लेन देनों हेतु केन्द्रीय सुरक्षा कोष के रूप में सेवा प्रदान करना था। टिनएक्सिस पर उपलब्ध सूचना, अन्य राज्यों के कर विभागों द्वारा जारी एवं व्यापारियों द्वारा रियायत/छूट के दावे के समर्थन में प्रस्तुत केन्द्रीय वैधानिक प्रपत्रों के सत्यापन हेतु प्रयोग की जा सकती है।

जबकि सॉफ्टवेयर माड्यूल्स के आंशिक प्रचालन के फलस्वरूप अन्तर्राज्यीय लेनदेनों से सम्बन्धित प्रपत्रों को केन्द्रीय सर्वर में अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिसत्यापन प्रक्रिया बाधित हो रही है।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि टिनएक्सिस कार्यक्रम शुरुआत में घोषित प्रपत्रों से आच्छादित अन्तर्राज्यीय लेनदेन के सत्यापन के लिए प्रारम्भ किया गया था। कार्यक्रम उम्मीद के अनुरूप नहीं था । इस वजह से रोक दिया गया।

हमने सिफारिश की कि विभाग व्यापारियों के विवरण तथा व्यापारियों को जारी प्रपत्रों को टिनएक्सिस वेबसाईट पर अपलोड करे एवं प्रतिसत्यापन प्रयोजन हेतु वेबसाईट का उपयोग करे।

5.3.9.4 संदिग्ध/जोखिमपूर्ण व्यापारियों का डाटा बेस

करापवंचन रोकने के लिए संदिग्ध व्यापारियों के छल/छिपाव/नकली प्रपत्रों के प्रयोग के पूर्व इतिहास के आधार पर समय-समय पर डाटा बेस तैयार किये जाने तथा नियमित अन्तराल पर अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है । डाटाबेस को विभाग की वेबसाईट/टिनएक्सिस पर "ऑनलाइन" रखा जाना चाहिए, जो व्यापारियों पर निगाह रखने हेतु सुगम होगा । हमारी जांच से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा संदिग्ध/जोखिमपूर्ण व्यापारियों के डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

5.3.9.5 आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

वैधानिक प्रपत्रों की प्राप्ति, अभिरक्षा एवं निर्गम पर उचित नियंत्रण, इन प्रपत्रों के दुरुपयोग टालने की कुंजी है । प्रपत्रों के निर्गम की दोषपूर्ण प्रणाली के दृष्टांत, जैसा कि हमारे द्वारा देखा गया, उपर्युक्त पैराओं में इंगित किया गया है । आगे, 2009-10 तक प्रपत्रों के भौतिक सत्यापन के संचालन हेतु कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी । तथापि पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने के बाद अप्रैल, 2010 में विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन संचालित किया गया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है । वाणिज्य कर विभाग के संदर्भ में कर निर्धारण आदेशों की आवधिक जांच एवं वैधानिक प्रपत्रों की अभिरक्षा एवं निर्गम के सम्बन्ध में अन्य कार्यात्मक पहलू, प्रपत्रों के दुरुपयोग अथवा नियमों के अशुद्ध या गलत प्रयोग के कारण हानि या राजस्व के रिसाव का पता लगाने में सहायता कर सकता है । यह संज्ञान में आया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थे। विभाग द्वारा 2007-08 से 2009-10 की अवधि (जिसके दौरान 2004-05 से 2006-07 का कर निर्धारण किया गया) में आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गयी । वाणिज्य कर विभाग में कोई स्वतंत्र आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है ।

हमने सिफारिश की कि विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र मजबूत करने हेतु पृथक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की शुरुआत की जाय ।

अनुपालन में कमियाँ

5.3.9.6 घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन- नकली प्रपत्र

के बि क अधिनियम की धारा 8(4) में प्रावधान है कि पंजीकृत व्यापारियों को अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती दर/छूट पर कर देय है यदि ऐसी बिक्री घोषणा प्रपत्र द्वारा समर्थित हो । आगे यदि व्यापारी झूठी घोषणा निर्गत या प्रस्तुत करता है, तो वह दण्ड का भागी होगा ।

जांच में हमारे द्वारा देखा गया कि विभाग ने छूट/रियायत देने के पूर्व घोषणा प्रपत्रों के प्रति सत्यापन हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया है । सत्यापन परिणाम में हमारे द्वारा यह देखा गया कि उत्तराखण्ड के दो व्यापारियों ने प्रपत्र 'ग', जो कि संगत दिल्ली एवं महाराष्ट्र के क्रय व्यापारियों को उनके बिक्रीकर विभाग द्वारा जारी न किया जाना पाया गया, पर छूट का दावा किया गया था । व्यापारियों को, ऐसी सूचना के प्रतिसत्यापन पर नोटिस जारी करने एवं ₹ 6.78 लाख का कर वसूलने की आवश्यकता है । साथ ही, नकली स्थापित प्रपत्र लगाने पर अर्थदण्ड आरोपणीय है ।

5.3.9.7 घोषणा प्रपत्रों की छायाप्रतियों पर अनियमित रियायत/छूट

5.3.9.7.1 प्रपत्र 'ग' की छायाप्रतियों पर स्वीकृति

उ आ (क नि) ।, काशीपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2005-06 के निर्धारण आदेश में प्रपत्रों की छायाप्रतियों के आधार पर छूट देने का कारण का उल्लेख किये बिना 14 प्रपत्र 'ग' की छायाप्रतियों के आधार पर ₹ 1.04 करोड़ की अन्तर्राज्यीय विक्रय पर रियायती दर से कर में छूट प्रदान किया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वैधानिक प्रपत्रों की छायाप्रतियों पर रियायत देना अनियमित है। मूल प्रपत्र 'ग' प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाय, जिसके नाकाम होने पर ₹ 7.80 लाख का कर वसूल किये जाये ।

5.3.9.7.2 प्रपत्र 'च' की छायाप्रतियों पर स्वीकृति

उ आ (क नि) ।, काशीपुर के अभिलेखों की हमारी जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा व्यापारी के मामले में 15 प्रपत्र 'च' की छायाप्रतियों के आधार पर ₹ 95.92 लाख के स्टॉक अन्तरण पर छूट प्रदान किया गया । मूल प्रपत्र 'च' प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाय, जिसके नाकाम होने पर ₹ 9.59 लाख का कर वसूल किये जाये।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि मामले को देखा जायेगा तथा लेखापरीक्षा को टिप्पणी से अवगत कराया जायेगा ।

5.3.9.8 अवैध प्रपत्रों की स्वीकृति

5.3.9.8.1 प्रपत्र 'ग'

के बि क अधिनियम की धारा 8(4) सहपठित के बि क (पं एवं आ) नियम के नियम 12(1) के अन्तर्गत कोई व्यापारी प्रपत्र 'ग' मेंघोषणा प्रस्तुत करके अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर के भुगतान में रियायत का दावा कर सकता है, बशर्ते कि एकल घोषणा, विक्रय के सभी लेनदेन जो उन्हीं दो व्यापारियों के मध्य वित्तीय वर्ष की एक तिमाही में हुआ हो, शामिल करता हो ।

उ आ (क नि) ।, काशीपुर एवं स आ (क नि) ।, रुद्रपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक तिमाही से अधिक के लेनदेन शामिल प्रपत्र 'ग' के आधार पर कर योग्य कुल बिक्री ₹ 23.01 लाख पर रियायत प्रदान की गयी । एक तिमाही से अधिक के लेनदेन शामिल घोषणा प्रपत्र की स्वीकृति अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध था तथा एकल तिमाही से बाहर (₹ 6.92 लाख) के लेनदेन को अस्वीकार किया जाना चाहिए था। इसमें रु 0.67 लाख के कर का कम आरोपण अन्तर्निहित था ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि मामले को देखा जायेगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

5.3.9.8.2 प्रपत्र 'च'

के बि क अधिनियम की धारा 6 (ए) 1 सहपठित के बि क (पं एवं आ) नियम के नियम 12(5) के अन्तर्गत, कोई व्यापारी प्रपत्र 'च' में घोषणा प्रस्तुत करके स्टॉक अंतरण पर कर के भुगतान में छूट का दावा कर सकता है, बशर्ते कि एकल घोषणा प्रपत्र में एक कैलेण्डर माह की अवधि में सम्पन्न लेनदेन शामिल हो ।

स आ (क नि) ।, रुद्रपुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि एक कैलेण्डर माह से अधिक के लेनदेन शामिल घोषणा प्रपत्र के आधार पर ₹ 21.97 लाख के कर योग्य कुल बिक्री पर छूट प्रदान की गयी । एक कैलेण्डर माह से अधिक के लेनदेन शामिल घोषणा पत्र की स्वीकृति अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था तथा एक माह से अधिक के लेनदेन (₹ 7.47 लाख) अस्वीकार किया जाना चाहिए था। इसमें ₹ 0.60 लाख के कर का अवनिर्धारण अन्तर्निहित था ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि मामले को देखा जायेगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

5.3.9.9 पंजीयन प्रमाणपत्र में गैर-शामिल माल के क्रय पर अनियमित रियायत

के बि क अधिनियम की धारा 10 ए (1) सहपठित धारा 10 (बी) में प्रावधान है कि यदि कोई पंजीकृत व्यापारी किसी श्रेणी के माल क्रय करते समय झूठे तरीके से दर्शाता है कि ऐसे श्रेणी के माल उसके पंजीयन प्रमाणपत्र में शामिल है, तो इस अधिनियम के अधीन वे, जिन्होनें पंजीयन प्रमाण दिया है या जैसा प्रकरण हो, देने में सक्षम है, सुनने का उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा उस पर धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे माल को बेचे जाने के बाबत्, यदि बिक्री ऐसी उपधारा के अधीन की होती, लिये जाने वाले कर का डेढ़ गुना से अनधिक दण्ड के रूप में आरोपित कर सकता है।

तीन कर निर्धारण प्राधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच, जैसा निम्न तालिका में दर्शाया गया है, में पाया गया कि तीन व्यापारियों के पंजीयन प्रमाणपत्र में गैर-शामिल माल के क्रय हेतु ₹ 60.23 लाख की धनराशि के प्रपत्र 'ग' जारी किये गये थे । खरीदे माल को पंजीयन प्रमाणपत्र में न तो घोषित किया गया था और ना ही इसमें जोड़ा गया था । इस कारण प्रपत्रों को अस्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.16 लाख का अर्थदण्ड अनारोपित रहा, जैसा कि निम्न तालिका 5.3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3.5 (₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम/कर निर्धारण वर्ष	धनराशि	वस्तु जिसके लिए प्रपत्र 'ग' जारी किये गये, लेकिन पंजीयन प्रमाण पत्र में गैर-शामिल थे	कर की दर	कर	अर्थदण्ड
1.	उ आ (क नि)-I वाणिज्य कर, काशीपुर	मेसर्स अजन्ता ट्रेडर्स, काशीपुर (2005-06)	23.47	टूथब्रश, परफ्यूम, आईसक्रीम कोन	12.5 %	2.93	4.40
2.	स आ (क नि)I, रुद्रपुर	मुरलीवाला एग्रो टेक, पन्तनगर (2005-06)	0.37 12.13	कम्प्यूटर, ट्रांसफार्मर	4% 12.5%	0.01 1.52	0.02 2.28
3.	उ आ (क नि) II, काशीपुर	मेसर्स मनोकामना स्टील्स प्रा. लि., बाजपुर	5.97 18.29	बिल्डिंग मैटेरियल, वेईंग ब्रिज, ट्रांसफार्मर्स	8 % 10%	0.48 1.83	3.46

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, इकाईयों ने बताया कि मामले को देखा जायेगा तथा की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

5.3.9.10 दोषपूर्ण प्रपत्रों की स्वीकृति

के बि क अधिनियम की धारा 8(4)(ए) में प्रावधान है कि किसी भी अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान कोई विक्रय पर उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे जब तक कि माल विक्रय करने वाले व्यापारी द्वारा पंजीकृत व्यापारी, जिसे माल बेचा जाता है, के द्वारा विहित प्राधिकारी से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित विवरण शामिल कर विधिवत् भरे एवं हस्ताक्षरित घोषणा को निर्धारित तरीके से विहित प्रधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर देता । इस प्रतिबन्ध का उद्देश्य, दावे जिस पर कर की रियायती दर प्रदान किया गया है, की वास्तविकता सुनिश्चित करना है ।

उ आ (क नि) II, एवं स आ (क नि) I, रुद्रपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की जांच में दो व्यापारियों के प्रकरण में हमारे द्वारा देखा गया कि कर निर्धारण प्रधिकारी द्वारा ₹ 3.86 करोड़ मूल्य के 12 प्रपत्र 'ग' पर कर की रियायती दर प्रदान की गयी थी, यद्यपि विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत प्रपत्र इतने अपूर्ण थे कि उसमें विक्रेता का नाम, क्रेता व्यापारी की पंजीयन संख्या, क्रेता व्यापारी द्वारा निर्गम तिथि तक उल्लेख नहीं थे । चार प्रपत्रों के मामलों में यह भी नहीं दर्शाया गया था कि किस कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन प्रपत्रों को जारी किया गया था। निर्धारण प्रधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जारीकर्ता राज्य के संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी वैध एवं वास्तविक वैधानिक प्रपत्रों के आधार पर कर की रियायती दर प्रदान किया गया है ।

हम सिफारिश करते हैं कि विभाग इन अपूर्ण प्रपत्रों में शामिल लेनदेन की वास्तविकता का पता लगायें तथा परिणामी कर देयता, यदि कोई हो, का भी पता लगायें।

5.3.10 निष्कर्ष

विभाग वैधानिक प्रपत्रों को क्रमानुसार जारी नहीं किया जो उनके दुरुपयोग एवं राजस्व की हानि का कारण बन सकते हैं । अन्तर्राज्यीय लेनदेन के संगत प्रपत्रों को सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के आंशिक परिचालन के कारण टिनएक्सिस के केन्द्रीय सर्वर में अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिससे विभाग एवं अन्य राज्य के बिक्रीकर विभाग के लिये प्रतिसत्यापन प्रक्रिया बाधित हो रही है । घोषणा प्रपत्रों पर रियायतें/छूट, प्रतिसत्यापन के माध्यम से इन घोषणा प्रपत्रों की वास्तविकता का बिना पता लगाये, प्रदान की गयीं । दोषपूर्ण प्रपत्रों की स्वीकृति अनियमित था तथा देय कर की न तो वसूली की गई और ना ही अर्थदण्ड आरोपित किया गया । आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा के विद्यमान न होने के फलस्वरूप विभाग का आन्तरिक नियंत्रण तंत्र कमजोर हुआ ।

5.3.11 अनुशंसायें

शासन अनुपालन मुद्दों एवं प्रणाली सुधार हेतु निम्नलिखित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर विचार कर सकती हैः

- *मुद्रित घोषणा प्रपत्रों, विशेष अवधि के दौरान जारी प्रपत्रों एवं विशेष तिथि पर उपलब्ध प्रपत्रों की स्पष्ट स्थिति बनाये रखनी चाहिए ।*
- *घोषणा प्रपत्रों की निर्गम पंजिका में प्रारम्भिक शेष, प्राप्ति, निर्गम, अंतिम शेष इत्यादि स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए उचित रुप से रखरखाव किया जाय तथा प्रपत्रों को कालानुक्रमिक जारी किया जाना चाहिए ।*
- *व्यापारियों का विवरण एवं व्यापारियों को जारी प्रपत्रों को टिनएक्सिस वेबसाईट पर अपलोड किया जाय तथा वेबसाईट का उपयोग प्रतिसत्यापन प्रयोजन हेतु किया जाय।*
- *जारीकर्ता-राज्य के कर निर्धारण अभिलेखों से नमूना जांच के आधार पर प्रपत्रों की आवधिक प्रतिसत्यापन हेतु संपर्क स्थापित किये जाने एवं प्रणाली बनाये जाने की आवश्यकता हैं।*
- *यह आवश्यक है कि लगातार दोषी पर कठोर एवं सख्त दण्ड के आरोपण के माध्यम से प्रतिरोधक तत्व की सूत्रपात की जाय ।*
- *यह सुनिश्चित किया जाय कि घोषणा प्रपत्रों, जिसमें विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हो, के प्रस्तुत करने पर ही रियायत/छूट दिया गया है ।*
- *के बि क के अन्तर्गत निर्धारण समय से पूरे किये जायें ।*
- *आन्तरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत बनाने हेतु विभाग में एक पृथक आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का सूत्रपात किया जाय ।*

लेनदेन की लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

5.4 कर का अवनिर्धारण

व्यापारी द्वारा अन्तर्राज्यीय खरीद की बिक्री पर असामान्य हानि दिखाने के कारण पुनर्निर्धारण किया गया जिससे अतिरिक्त कर दायित्व रु 11.08 लाख सृजित हुआ ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 21(1) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारण प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि किसी व्यापारी के आवर्त के पूर्ण या उसके किसी भाग का कर निर्धारण छूट गया है या कम निर्धारित किया गया है या कर कम दर पर निर्धारित किया गया है जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारणीय है

या उक्त के सन्दर्भ में कोई रियायत या छूट गलत तरीके से दिया गया है, कर निर्धारण प्राधिकारी व्यापारी को नोटिस जारी करने के पश्चात् एवं ऐसी जांच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझे, व्यापारी पर नियम के अनुसार करारोपण के लिए कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है । उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 राज्य में दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 से लागू था।

उपायुक्त (कर निर्धारण)-V, देहरादून के अभिलेखों (मार्च, 2009) की जांच से हमें ज्ञात हुआ कि एक व्यापारी[31] निर्धारण वर्ष 2003-04 जिसका 2007-08 में कर निर्धारण किया गया, निम्नानुसार दिये गये व्यापारिक लेखे के विवरण के अनुसार उसके द्वारा रु 5.04 लाख का कर भुगतान किया। जैसा कि उसके व्यापारिक लेखे का विवरण निम्न **तालिका 5.4.1** में दिया गया है।

तालिका 5.4.1 *(प्रतिशत में)*

माल की मदें	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान क्रय (₹)	अन्तिम शेष (₹)	वर्ष के दौरान विक्रय (₹)	लाभ/हानि
राज्य में क्रय					
एक्वा गाड्र्स	10,98,419	1,78,32,306	20,42,124	3,41,33,868	102% लाभ
वैक्यूम क्लीनर्स	58,496	56,10,982	3,68,895	1,17,84,111	122% लाभ
अन्य राज्य से क्रय					
एक्वा गाड्र्स	42,15,194	60,36,802	2,66,270	42,60,053	57 % हानि
वैक्यूम क्लीनर्स	15,48,793	16,19,538	2,97,273	6,46,675	77 % हानि

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि फर्म ने राज्य में खरीदे गये एक्वागाड्र्स एवं वैक्यूम क्लीनर्स के बिक्री पर क्रमशः 102 *प्रतिशत* एवं 122 *प्रतिशत* का लाभ दर्शाया। उसी समय राज्य के बाहर से खरीदे गये उसी माल पर क्रमशः 57 *प्रतिशत* एवं 77 *प्रतिशत* की हानि दर्शाई गयी । हमने देखा कि चूंकि राज्य में खरीदे गये माल की बिक्री कर योग्य नहीं है, व्यापारी ने राज्य में खरीदे गये माल की बिक्री पर काफी लाभ दर्शाया जिससे राज्य के बाहर से खरीदे गये माल की बिक्री पर दर्शाई हानि को लेखा में अन्तर्राज्यीय बिक्री पर लाभ के साथ क्षतिपूर्ति किया जा सके।

कर के अपवंचन की इस विधि को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी को अधिनियम के अन्तर्गत निम्न **तालिका 5.4.2** में दिये गये विवरण के अनुसार राज्य से बाहर खरीदे गये एक्वागाड्र्स एवं वैक्यूम क्लीनर्स की बिक्री पर न्यूनतम बीस *प्रतिशत* के लाभ को पुनर्निर्धारित करते हुए नोटिस जारी (13.05.2010) कियाः

[31] यूरेका फोर्ब्स लि., ऍस्ले हॉल, देहरादून।

तालिका 5.4.2

माल की मदें	प्रारम्भिक शेष (₹)	क्रय (₹)	अन्तिम स्टॉक (₹)	शेष (₹)	20% की दर से लाभ (₹)	विक्रय (₹)	क्रय[32] (₹)
एक्वा गार्ड्स	42,15,194	60,36,802	2,66,270	99,85,726	19,97,145	1,19,82,871	11,98,287
वैक्यूम क्लीनर्स	15,48,793	16,19,538	2,97,273	28,71,058	5,74,211	34,45,269	4,13,432
योग							**16,11,719**

व्यापारी द्वारा अनुमन्य समय के भीतर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः यह माना गया कि व्यापारी को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये पुनर्निर्धारण पर कोई आपत्ति नहीं है । अतः कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रु 16.12 लाख का कर आरोपित किया गया एवं रु 11.08 लाख का अतिरिक्त कर दायित्व की मांग नोटिस व्यापारी को जारी किया गया (मई, 2010) । तथापि लंबित कर की वसूली पर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (नवम्बर, 2011)।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जुलाई, 2011), उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर, 2011)।

राज्य आबकारी विभाग

5.5 राजस्व की क्षति

शीरे के किण्वीय शर्करा घटक से निर्धारित न्यूनतम मानकों से कम एल्कोहल के उत्पादन के फलस्वरूप रु 91.62 लाख की राजस्व क्षति हुई।

उत्तराखण्ड आबकारी नियमावली (खण्ड-I) में प्रावधान है कि शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल में से न्यूनतम 52.5 अल्कोहलिक लीटर (ए एल) एल्कोहल का उत्पादन होना चाहिये। इस प्रयोजन हेतु आसवानी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे का संकलित नमूना लेकर परीक्षण के लिए एल्कोहल तकनीशियन को भेजना होता है । शीरे से एल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन को अवस्थित रखने में असफल होने पर अर्थदण्ड के आरोपण के अतिरिक्त आसवानियों के लाईसेन्स रद्द एवं प्रतिभूति जमा का जब्त किया जाता है।

प्रभारी अधिकारी आबकारी (ओ आई सी ई), बाजपुर,डिस्टीलरी, बाजपुर, उधमसिंह नगर के अभिलेखों (फरवरी, 2011) कि जांच में हमने देखा कि वर्ष 2009-10 के दौरान न पीने योग्य एवं पीने योग्य एल्कोहल के बीच का अनुपात 1:70 था एवं पीने योग्य एल्कोहल से केवल देसी मदिरा का उत्पादन किया गया था । मई, 2009 एवं दिसम्बर,

[32] एक्वा गार्ड्स तथा वैक्यूम क्लीनर्स पर कर की लागू दर क्रमशः 10 *प्रतिशत* एवं 12 *प्रतिशत* था।

2009 में लिए गये नौ संकलित नमूनों की जांच में पाया गया कि 11979.61 कुन्तल किण्वीय शर्करा से, मानक के अनुसार न्यूनतम 628929.99 ए एल के विरूद्ध 593715.70 ए एल निकाला गया । इस प्रकार एल्कोहल का उत्पादन मानक से 35214.29 ए एल कम एवं निर्धारित न्यूनतम 52.5 ए एल प्रति कुन्तल किण्वीय शर्करा घटक के विरूद्ध 49.56 ए एल था। आसवानी द्वारा उत्पादित न पीने योग्य एवं पीने योग्य एल्कोहल (देसी मदिरा) के अनुपात पर विचार करते हुए 34718 ए एल में से देशी मदिरा का 96438 बल्क लीटर[33] तक उत्पादन किया जाना था । मानक के विरूद्ध उत्पादन में कमी के कारण सरकार को रु 91.62 लाख[34] की राजस्व हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् डिस्टलरी के ओ आई सी ई द्वारा उत्तर दिया गया कि एल्कोहल के कम उत्पादन के प्रकरण को राज्य आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष उठाया जायेगा। लिए गए नमूनों एवं मानकों के अनुसार उत्पादन में कमी पर आसवानी के प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर उत्तर अप्राप्त है।

मामला सरकार को सन्दर्भित किया गया (जुलाई, 2011)। उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर, 2011)।

[33] ए एलx100/तीव्रता = बल्क लीटर, जहाँ तीव्रता 36 भार/भार है।

[34] 96438 बल्क लीटर x ₹ 95 (वर्ष में आबकारी शुल्क की लागू दर)।